महानिदेशालय, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल

पूर्वी खण्ड-7, तल-4, सेक्टर-1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

(गृह मंत्रालय) भारत सरकार

हेल्पलाइन नंबर : 011-26160255 वेबसाइट : www.rect.crpf.gov.in

<u>विज्ञापन सूचना</u>

दिनांक : **08** अप्रैल' **2026**

के0रि0पु0बल में सिपाही (तकनीकी एवं ट्रेड्समैन तथा पायनियर) (पुरुष/महिला)–2026 के पदों पर भर्ती

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि	:	**20/04/2026**
ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति एवं ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि	:	**19/05/2026**

सरकार एक ऐसे कार्यबल के लिए प्रयासरत है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता है और जिसमें महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया हो।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही (तकनीकी एवं ट्रेड्समैन तथा पायनियर) की रिक्तियों को भरने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई भर्ती योजना / नियमों के अनुसार के0रि0पु0बल पुरुष और महिला अभ्यर्थी**,** जो सामान्य रूप से अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निवासी हैं**,** के लिए निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय नागरिकों की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा।

2. इस भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी.ई.टी.), शारीरिक मापतौल परीक्षा (पी.एस.टी.), कंप्यूटर आधारित टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, दस्तावेजों का सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। भर्ती की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i) आवेदन केवल **ऑनलाइन** स्वीकार किए जाएंगे। अत: अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करें। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य पद्धति की अनुमति नहीं है।

ii) भर्ती अधिवास आधारित पद्धति पर आयोजित की जाएगी।

iii) शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक मापतौल परीक्षण (PST), कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), ट्रेड/कौशल परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन (DV) तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (DME) / रिव्यू चिकित्सा परीक्षण (RME) के0रि0पु0बल द्वारा निर्धारित एवं आयोजित किए जाएंगे।

iv) कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल **हिंदी और अंग्रेज़ी** भाषा में आयोजित की जाएगी।

v) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन (DV)/विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (DME) के समय अभ्यर्थियों से आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र / दस्तावेज एकत्रित करके उनका सत्यापन किया जाएगा।

vi) सिपाही (तकनीकी एवं ट्रेड्समैन) के पदों की श्रेणीवार रिक्तियाँ विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भरी जाएंगी और सिपाही (पायनियर) के पदों की श्रेणीवार रिक्तियाँ अखिल भारतीय आधार पर भरी जाएंगी। अंतिम चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

vii) अंतिम परिणाम के0रि0पु0बल द्वारा अभ्यर्थियों के कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा, बशर्ते वे शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक नापतौल परीक्षण (PST), ट्रेड/कौशल परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन (DV), चिकित्सा परीक्षण तथा भर्ती सूचना में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करते हों।

viii) परीक्षा के किसी भी स्टेज के लिए **प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।** प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा के0रि0पु0बल की वेबसाइट **https://www.rect.crpf.gov.in** पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा कार्यक्रम के अपडेट और प्रत्येक स्टेज के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें।

ix) अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक स्टेज में **प्रवेश पत्र की दो रंगीन प्रिंट कॉपी** साथ लानी होंगी। इनमें से एक कॉपी परीक्षा केंद्र पर जमा करनी होगी।

3. **वेतनमान:** वेतन स्तर-3 (₹ 21,700 – ₹ 69,100)

4. **रिक्तियाँ:**

i) **सिपाही (तकनीकी एवं ट्रेड्समैन):** कुल 9,175 पद (पुरुष–9,096 एवं महिला–79) इन पदों को सिपाही (तकनीकी तथा ट्रेड्समैन एवं पायनियर) भर्ती-2026 के माध्यम से भरा जाएगा। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/ट्रेड/पद के अनुसार रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	पुरुष पदों की रिक्तियां															
	ब्रास बैंड	नाई	बिगुलर	मोची	रसोइया	बढ़ई	चालक	माली	मोटर मैकेनिक वाहन	पाइप बैंड	पेंटर	सफाई कर्मचारी	दर्जी	जल वाहक	धोबी	कुल
अंडमान और निकोबार (**केंद्र शासित प्रदेश**)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	0	2	0	9	0	4	0	0	1	0	2	0	20
आंध्र प्रदेश	9	11	71	5	58	6	225	6	36	2	5	22	11	20	17	504
असम	5	6	30	3	36	4	81	4	74	0	3	14	4	13	9	286
बिहार	8	19	100	8	121	9	242	13	35	1	6	47	12	42	31	694
चंडीगढ़ (**केंद्र शासित प्रदेश**)	0	0	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	7
छत्तीसगढ	4	5	27	3	30	2	61	3	34	1	2	12	3	10	8	205
दादर और नगर हवेली (**केंद्र शासित प्रदेश**)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
दिल्ली (**केंद्र शासित प्रदेश**)	1	3	18	1	20	1	29	2	15	1	1	8	2	7	5	114
गोवा	0	0	4	0	4	0	4	0	1	0	0	1	0	2	0	16
गुजरात	10	12	58	7	70	8	156	7	34	4	4	27	10	24	18	449
हरियाणा	1	5	24	2	30	3	43	3	7	0	2	11	3	10	8	152
हिमाचल प्रदेश	0	1	7	1	8	1	12	1	2	0	0	3	1	3	2	42
जम्मू और कश्मीर (**केंद्र शासित प्रदेश**)	3	2	16	2	14	2	62	1	32	0	2	5	17	5	4	167
झारखंड	4	6	32	2	38	3	110	4	11	0	2	15	5	13	10	255
कर्नाटक	6	11	59	9	71	7	177	7	36	2	4	27	7	25	18	466
केरल	6	8	57	6	43	5	94	4	21	1	5	16	10	17	11	304
महाराष्ट्र	9	21	107	8	131	8	197	13	33	3	8	50	14	45	33	680
मणिपुर	1	1	4	0	3	0	19	0	15	0	0	1	1	1	1	47
मेघालय	1	2	6	2	4	0	21	1	8	0	1	1	1	1	3	52
मिजोरम	0	0	2	0	1	0	7	0	3	0	0	1	0	0	0	14
मध्य प्रदेश	8	13	70	5	85	7	125	9	29	3	4	32	9	29	21	449
नागालैंड	9	0	2	3	2	0	44	0	13	0	2	2	7	1	1	86
ओडिशा	6	8	41	3	49	4	95	5	18	2	2	19	5	17	12	286
पुडुचेरी(**केंद्र शासित प्रदेश**)	0	0	3	0	2	0	4	0	0	0	0	1	0	1	0	11
पंजाब	6	5	27	2	32	2	104	3	25	1	2	12	3	11	8	243
राजस्थान	6	13	67	5	80	8	116	8	35	1	4	31	8	28	20	430
सिक्किम	0	0	2	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7
तमिलनाडु	14	15	82	12	91	11	282	9	45	3	4	34	14	35	22	673
तेलंगाना	7	7	47	7	44	6	150	4	24	1	2	17	10	16	11	353
त्रिपुरा	1	1	5	0	4	1	16	0	12	0	0	2	1	2	1	46
उतार प्रदेश	16	37	192	14	232	15	337	23	82	2	12	89	24	81	59	1215
उत्तराखंड	1	2	10	1	12	1	27	1	4	0	1	5	1	4	3	73
पश्चिम बंगाल	15	17	89	7	106	9	319	10	50	4	5	41	12	37	27	748
कुल	**157**	**231**	**1263**	**118**	**1426**	**123**	**3176**	**141**	**739**	**32**	**83**	**547**	**195**	**502**	**363**	**9096**

राज्य	महिला पदों की रिक्तियां								
	ब्रास बैंड	बिगुलर	हेयर ड्रेसर	माली	पाइप बैंड	पेंटर	दर्जी	जल वाहक	कुल
आंध्र प्रदेश	1	0	0	0	1	0	0	1	3

असम	1	0	0	0	0	0	0	1	2
बिहार	1	1	1	0	1	0	0	2	6
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	1	1
गुजरात	1	0	0	0	1	0	0	1	3
हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	1	1
झारखंड	0	0	0	0	1	0	0	1	2
कर्नाटक	2	1	0	0	1	0	0	1	5
केरल	1	0	0	0	0	0	0	1	2
महाराष्ट्र	1	1	1	0	2	0	1	2	8
मध्य प्रदेश	1	1	0	0	1	0	0	2	5
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ओडिशा	0	0	0	0	1	0	0	1	2
पंजाब	1	0	0	0	0	0	0	1	2
राजस्थान	1	1	0	0	1	0	0	1	4
तमिलनाडु	2	3	0	0	1	0	0	2	8
तेलंगाना	1	0	0	0	1	0	0	1	3
उत्तर प्रदेश	2	2	1	1	3	1	1	4	15
पश्चिम बंगाल	2	1	0	0	1	0	0	2	6
कुल योग	**18**	**11**	**3**	**1**	**16**	**1**	**2**	**27**	**79**

नोट :

i) उपरोक्त रिक्तियों में पिछली भर्ती की बैकलॉग (शेष) रिक्तियाँ भी शामिल हैं।

ii) प्रत्येक श्रेणी के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार आरक्षित रिक्तियों का विवरण **अनुलग्नक-ए** में संलग्न है।

ii) **पायनियर विंग के लिए रिक्तियाँ:** सिपाही (पायनियर) (पुरुष) की 20 रिक्तियां, सिपाही (तकनीकी तथा ट्रेड्समैन एवं पायनियर) भर्ती-2026 के माध्यम से भरी जानी हैं। ये रिक्तियाँ **अखिल भारतीय आधार** पर भरी जानी हैं। ट्रेड/पद के अनुसार रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

पद / ट्रेड का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति भूतपर्वू सैनिक	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिक	आर्थिक रूप से कमजोर	आर्थिक रूप से कमजोर भूतपर्वू सैनिक	अनारक्षित	अनाराक्षित भूतपूर्व सैनिक	कुल
मैसन	2	0	1	0	4	0	1	0	5	0	13
इलेक्ट्रीशियन	1	0	0	0	2	0	1	0	3	0	7
कुल योग	**3**	**0**	**1**	**0**	**6**	**0**	**2**	**0**	**8**	**0**	**20**

iii) 10% रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों (Ex-servicemen-ESM) के लिए आरक्षित हैं। यदि उपयुक्त भूतपर्वू सैनिक उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ये रिक्तियाँ संबंधित श्रेणी के गैर- भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

iv) जैसा कि सिपाही (तकनीकी एवं ट्रेड्समैन) के पदों की रिक्तियाँ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) के अनुसार निर्धारित की गई हैं, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाए गए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश का अधिवास / **स्थायी निवास प्रमाण पत्र** दस्तावेज़ों के सत्यापन / विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी और उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार आवेदन में बताए गए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी अधिवास (डोमिसाइल) / स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसे दस्तावेजों के सत्यापन (डीवी) के समय राज्य बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म बहुत सावधानीपूर्वक भरना चाहिए।

v) रिक्तियों की संख्या संभावित हैं। रिक्तियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर इसकी सूचना के0रि0पु0बल की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

vi) पैरा 4 (ii) में उल्लिखित रिक्तियाँ **अखिल भारतीय आधार** पर हैं और किसी भी राज्य/ संघ शासित प्रदेश का उम्मीदवार इन पदों/ट्रेड्स के लिए आवेदन कर सकता है। इन पदों/ट्रेड्स के लिए अखिल भारतीय वरीयता (मेरिट) सूची तैयार की जाएगी।

vii) नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

5. राष्ट्रीयता / नागरिकता:

अभ्यर्थियों को भारत का नागरिक होना चाहिए।

6. अयोग्यता :

कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा:

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, विवाह की संविदा की है, ; अथवा

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया हो,

(परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी)

7. आयु सीमा:

i) **सिपाही (चालक)** के लिए:

दिनांक 01/01/2026 को 21 से 27 वर्ष। उम्मीदवार का जन्म दिनांक 02/01/1999 से पहले और दिनांक 01/01/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए।

ii) **सिपाही (मोटर मैकेनिक वाहन / मोची / बढ़ई / दर्जी / ब्रास बैंड / पाइप बैंड / माली / बिगुलर / पेंटर / रसोइया / नाई सह हेयर ड्रेसर / धोबी (पुरुष एवं महिला) / जलवाहक/ सफाई कर्मचारी / राजमिस्त्री (मैसन) / प्लंबर / इलेक्ट्रीशियन)** के लिए :

दिनांक 01/01/2026 कोआयु 18 से 23 वर्ष होगी। उम्मीदवार का जन्म दिनांक 02/01/2003 से पहले और दिनांक 01/01/2008 के बाद का नहीं होना चाहिए।

iii) विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमत्य छूट निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	वर्ग	ऊपरी आयु सीमा से परे अनुमेय आयु-छूट
01	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति	5 वर्ष
02	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 वर्ष
03	भूतपूर्व सैनिक	गणना की तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा को घटाने के बाद 3 वर्ष।
04	1984 के दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित (अनारक्षित)	5 वर्ष
05	1984 के दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित। (अन्य पिछडा वर्ग)	8 वर्ष
06	1984 के दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) ।	10 वर्ष

नोट**:**

I) उपरोक्त पद किसी भी दिव्यांग श्रेणी जैसे कि : सुनने में असमर्थ (Hearing Handicapped), शरीरिक दिव्यांगता (Orthopediacally Handicapped), देखने में असमर्थ (Visually Handicapped) एवं स्वलीनता/आत्मविमोह (Autism) के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। अत: ऐसे

उम्मीदवार **आवेदन न करें।**

II) अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची के लिए उम्मीदवार **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग** (एन.सी.बी.सी.) की वेबसाइट देख सकते हैं।

iv) उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा गया नाम और जन्मतिथि, जोकि मैट्रिक/सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज है, वही के0रि0पु0बल द्वारा आयु निर्धारण के लिए स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार के बदलाव का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

v) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई.एस.एम.) जो अपने पुन: रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के तौर पर दिए गए आरक्षण का लाभ उठाने के बाद नियमित आधार पर सरकार के अधीन सिविल पदों पर रोजगार पहले ही अर्जित कर चुके हैं, वे भू.पू.सै.(ई.एस.एम.) श्रेणी और शुल्क रियायत में आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, वह बाद के रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है, यदि वह सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-Estt(Res) में वर्णित किए गए अनुसार प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पूर्व, जिसके लिए उसने आवेदन किया था, विभिन्न रिक्ति पदों के लिए आवेदन का तिथि-वार विवरण के विषय में नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन देता है।

vi) सशस्त्र बलों में भूतपूर्व सैनिक की "कॉल-अप सेवा" की अवधि को भी आयु में छूट के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।

vii) संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक मानने के लिए यह आवश्यक है कि उसने संबंधित पद/सेवा के लिए आवेदन करते समय भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर लिया हो, अथवा वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दस्तावेजी प्रमाण के माध्यम से यह सिद्ध करने की स्थिति में हो कि वह आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र बलों में अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण कर लेगा। भूतपूर्व सैनिकों की पात्रता से संबंधित विषय माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के रिट याचिका (सी) संख्या 520/2020 दिनांक 01/12/2020 के फैसले के आधार पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoP&T) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार होगा

viii) **<u>स्पष्टीकरण :</u>** 'भूतपूर्व सैनिक' का आशय उस व्यक्ति से है:

1. जिसने भारत संघ की नियमित थल सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी पद पर, चाहे वह योद्धक हो या गैर-योद्धक सेवा की हो, और

   (क) जिसे अपने स्वयं के अनुरोध पर इस प्रकार की सेवा से सेवानिवृत्त या कार्यमुक्त या सेवा-मुक्त किया गया हो या पेंशन अर्जित करने के बाद नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया जा रहा हो,

   अथवा

   (ख) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर इस प्रकार की सेवा से कार्य-मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य अशक्तता पेंशन प्रदान की गई है;

   अथवा

   (ग) जिसे संस्थान द्वारा छंटनी करने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो;

   अथवा

2. जिसे अनुबंध की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद ऐसी सेवा से निर्मुक्त कर दिया गया है**,** किंतु उनके स्वयं के अनुरोध पर, या पदच्युति के माध्यम से, या कदाचार या अदक्षता के कारण सेवामुक्त न किया गया हो और जिन्हें ग्रेच्युटी प्रदान की गई है तथा जिनमें प्रादेशिक सेना के कार्मिकों, संगठित सेवा के लिए निरंतर पेंशन पाने वाले या अर्हक सेवा का खंडित अवधि वाले भी शामिल हैं;

अथवा

3. सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है और चिकित्सा या अन्य अशक्तता पेंशन प्रदान की गई है।

अथवा

4. ऐसे कार्मिक, जो 14 अप्रैल 1987 से पहले 6 महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों।

अथवा

5. प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता।

अथवा

6. ऐसे भूतपूर्व रंगरूट जिन्हें चिकित्सा आधार पर सेवा से हटाया गया हो और चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्रदान की गई हो।

ix) 1) संघ की सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत वे व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आएंगे, उन्हें निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण होने से एक वर्ष पूर्व पुनर्नियोजन के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी तथा वे भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ ले सकेंगे। किन्तु उन्हें सशस्त्र सेनाओं में निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण किए बिना सेवा छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

2) भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों को आयु में छूट/आरक्षण ग्राह्य नहीं है। इसलिए, ऐसे अभ्यर्थियों को भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपने वर्ग का उल्लेख नहीं करना चाहिए।

8. प्रमाणीकरण की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:

i) आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने या आयु में छूट प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को के0रि0पु0 बल द्वारा मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा, उनके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/आवेदन को अनारक्षित (UR) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य प्रकार की आयु-छूट का दावा किया है या भूतपूर्व सैनिक (ESM) का दर्जा प्राप्त करने का दावा किया है और वह संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसे उसकी संबंधित श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही माना जाएगा। प्रमाण पत्रों के प्रारूप परीक्षा सूचना के साथ संलग्न हैं। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित कोई अभ्यर्थी यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन (migration) पर होता है, तो उसे यह सोच-समझकर निर्णय लेना होगा कि वह अपने मूल राज्य से आरक्षण का लाभ लेना चाहता है या प्रवासन वाले राज्य से अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना चाहता है। यह विकल्प अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही चुनना होगा। आवेदन पत्र जमा करने के बाद इस विकल्प में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अनुरोध के0रि0पु0 बल द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपने मूल राज्य से आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनता है, तो उसे आवेदन पत्र में अपने मूल राज्य तथा वर्तमान निवास राज्य दोनों की जानकारी देनी होगी और उसकी उम्मीदवारी पर विचार उसके मूल राज्य के आधार पर किया जाएगा।

iii) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का लाभ लेने की निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम होगी जोकि 19/05/2026 है।**

iv) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र है और वह निर्णायक तिथि को संपन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) में नहीं आता है। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि **19/05/2026** होगी जोकि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है ।

v) अभ्यर्थी यह भी ध्यान दें कि ऊपर बताई गई बातों के मामले में, उनकी उम्मीदवारी तब तक अस्थाई (प्रोविजनल) रहेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित दस्तावेजों की वास्तविकता का सत्यापन नहीं कर लेते हैं। अभ्यर्थियों को सावधान किया जाता है कि अगर वे धोखाधड़ी से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्लू.एस./ई.एस.एम. होने का दावा करते हैं या कोई और फायदा उठाते हैं, तो उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।

vi) संबंधित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अधिवास / स्थाई निवास प्रमाण पत्र (पी0आर0सी0) प्रस्तुत करने पर ही उम्मीदवारों को उनके संबंधित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश में भर्ती के लिए विचार किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय, यदि उम्मीदवार द्वारा ऐसा नही किया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी। अधिवास/ पी.आर.सी. प्रमाण पत्र उसी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का होना चाहिए, जिसे अभ्यर्थियों ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाया है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

vii) चूंकि **असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य** अधिवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं करते हैं, इसलिए असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों को इसे जमा करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, उनका चयन संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा जारी आवासीय स्थिति के सत्यापन पर निर्भर करेगा।

9. <u>शैक्षणिक योग्यता (दिनांक 01/01/2026 को):</u>

i) प्रत्येक ट्रेड/पद की शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता निम्नानुसार है:

चालक	शैक्षणिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष।
	तकनीकी योग्यता	भारी परिवहन वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना आवश्यक है।
मैकेनिक मोटर वाहन	शैक्षणिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा प्रणाली में कम से कम मैट्रिक या 10वी कक्षा पास या उसके बराबर।
	तकनीकी योग्यता	राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर-वाहन मैकेनिक में 02 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) प्रमाण-पत्र और संबंधित ट्रेड में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर-वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य शिक्षुता प्रमाण-पत्र और संबंधित ट्रेड में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।
अन्य सभी ट्रेड के लिए	शैक्षणिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम मैट्रिक या उसके बराबर की डिग्री, या भूतपूर्व सैनिकों के मामले में आर्मी में समकक्ष की योग्यता।

	तकनीकी योग्यता	संबंधित ट्रेड में निपुणता और कार्य अनुभव होना आवश्यक है।
पायनियर विंग (राजमिस्त्री (मेसन)/ इलेक्ट्रीशियन)	शैक्षणिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष।
	तकनीकी योग्यता	(ए) संबंधित ट्रेडों मेसनरी या प्लंबिंग या इलेक्ट्रीशियन में एक वर्ष का अनुभव । (बी) मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वालों को वरीयता दी जाएगी।

ii) जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तारीख तक ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है, वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

iii) भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10/06/2015 की अधिसूचना के अनुसार, संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थानों और संसद के अधिनियम के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सभी डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं में रोजगार के उद्देश्य के लिए स्वत: मान्यता प्राप्त हैं, बशर्ते उन्हें दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो। तदनुसार, जब तक ऐसी डिग्रियों को उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्यता नहीं दी जाती है, जब अभ्यर्थियों ने योग्यता हासिल की थी, उन्हें शैक्षिक योग्यता के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

iv) दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाए गए सभी अभ्यर्थियों को मैट्रिक पूरा करने के लिए अंकपत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इत्यादि मूल रूप में दिखाने होंगे, ताकि यह साबित हो सके कि उन्होंने निर्णायक तिथि (कट ऑफ डेट) पर या उससे पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल कर ली है। ऐसा न करने पर ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। जो उम्मीदवार दस्तावेजी सबूतों से यह साबित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम निर्णायक तिथि (कट ऑफ डेट) पर या उससे पहले घोषित किया गया था और उन्हें पास घोषित किया गया है, उन्हें भी शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाला माना जाएगा। यह दोहराया जाता है कि ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता का परिणाम बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा तय तारीख तक घोषित किया जाना चाहिए। बोर्ड/ विश्वविद्यालय /संस्था द्वारा सिर्फ निर्णायक तिथि (कट ऑफ डेट) तक परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया मात्र से शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है।

10. आवेदन कैसे करें/आवेदन करने के स्टेज :

i) आवेदन के0रि0पु0 बल की आधिकारिक वेबसाइट पर **ऑनलाइन** माध्यम से ही जमा करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने संबंधी विस्तृत निर्देश के लिए, कृपया इस विज्ञापन का **अनुलग्नक-I देखें।**

ii) उम्मीदवार पद/ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी करते हों।

iii) आवेदन पोर्टल **20/04/2026 से 19/05/2026** तक चालू (खुला) रहेगा ।

iv) अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पहले जमा कर दें और अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें, ताकि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर ज़्यादा लोड होने की वजह से के0रि0पु0बल वेबसाइट पर लॉग-इन न कर पाने अथवा डिस्कनेक्ट होने की संभावना से बचा जा सके।

v) यदि उम्मीदवार ऊपर बताए गए कारणों से या के0रि0पु0बल के नियंत्रण से बाहर किसी और वजह से आखिरी तारीख तक अपना आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं, तो के0रि0पु0बल इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

vi) ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवार को यह जांच कर लेना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही जानकारी भरी हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद ,किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक ,फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. आवेदन शुल्क:

परीक्षा शुल्क रूपये 100/- प्रत्येक पद के लिए, सिर्फ़ सामान्य, ई.डब्लू.एस. और ओ.बी.सी. श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को इसमें छूट दी गई है।

i) शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से भीम (BHIM), यू.पी.आई., नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड तथा सी.एस.सी. वालेट का उपयोग करके किया जा सकता है।

ii) निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा और उनको तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इस अस्वीकृति के खिलाफ कोई प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी हालत में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी दूसरी परीक्षा या चयन में समायोजित किया जाएगा।

iii) जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान में छूट नहीं है, उन्हें यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने अपना शुल्क जमा कर दिया है। अगर के0रि0पु0 बल को शुल्क प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति **अधूरा/लंबित** दिखाई देगी और यह जानकारी आवेदन पत्र प्रिंटआउट के सबसे ऊपर छपी होगी। इसके अलावा, उम्मीदवार की लॉगिन स्क्रीन में दिए गए "भुगतान स्थिति" लिंक पर शुल्क भुगतान की स्थिति की जांच की जा सकती है। शुल्क प्राप्त न होने के कारण अधूरे रह गए आवेदनों को **सरसरी तौर पर अस्वीकृत** कर दिया जाएगा तथा परीक्षा सूचना में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों और शुल्क भुगतान पर विचार करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. पी.ई.टी., पी.एस.टी., ट्रेड टेस्ट, डी.वी. और डी.एम.ई./आर.एम.ई. के लिए केन्द्र :

क्र.सं.	भर्ती केंद्र
	असम
1	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, गुवाहाटी, पोस्ट ऑफिस-अमेरिगोग, गुवाहाटी, असम-781023
2	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, खटखटी, पोस्ट-गौतम बस्ती, जिला- कार्बियांगलोंग, असम-782480
3	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, उदारबंद , दयापुर , सिलचर , असम-788030
	बिहार
4	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, मुजफ्फरपुर, झपहां , पोस्ट ऑफिस-उमा नगर, बिहार-842004
5	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, मोकामाघाट , जिला-पटना, बिहार-803303
	छत्तीसगढ
6	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, आरंग , ग्राम और पोस्ट ऑफिस- भिलाई , पुलिस स्टेशन-आरंग, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़-493441
	दिल्ली
7	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, झडौदा कलां, नई दिल्ली-110072
	गुजरात
8	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, चिलोडा रोड, गांधीनगर, गुजरात-382042
	हरियाणा
9	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, गाँव-खेवड़ा , पोस्ट ऑफिस- बहालगढ़ , मेरठ रोड, सोनीपत , हरियाणा-131021
10	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, पिंजौर, जिला पंचकूला, हरियाणा-134104
	जम्मू और कश्मीर

11	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, बनतलाब , जम्मू, जम्मू और कश्मीर-181123
झारखंड	
12	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, सेम्बो धुर्वा रांची, पोस्ट ऑफिस धुर्वा, जिला-रांची, झारखंड-834004
कर्नाटक	
13	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, बेंगलुरु, येलहंका, बेंगलुरु, कर्नाटक-560064
केरल	
14	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, पल्लीपुरम , तिरुवनंतपुरम, केरल-695316
मध्य प्रदेश	
15	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, नीमच , मध्य प्रदेश-458441
16	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, भोपाल, गाँव- बंगरसिया , तालुक हुज़ूर , जिला- भोपाल, मध्य प्रदेश -462045
महाराष्ट्र	
17	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, नागपुर, महाराष्ट्र-440019
18	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, तलेगांव दाभाड़े , पोस्ट- विष्णुपुरी , तहसील- मावल , जिला-पुणे, महाराष्ट्र-410507
मणिपुर	
19	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, लांगजिंग इम्फाल, पोस्ट ऑफिस-इम्फाल, जिला-इम्फाल पश्चिम, मणिपुर-795113
ओडिशा	
20	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, भुवनेश्वर, ओडिशा-751011
पंजाब	
21	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, जालंधर, पोस्ट ऑफिस-करतारपुर , जिला-जालंधर, पंजाब-144805
राजस्थान	
22	ग्रुप केन्द्र -1, के0रि0पु0बल, गोल्फ कोर्स रोड, अजमेर, राजस्थान-305007
23	ग्रुप केन्द्र 2, के0रि0पु0बल, फॉय सागर रोड, अजमेर, राजस्थान-305005
तमिलनाडु	
24	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, अवाडी , चेन्नई, तमिलनाडु-600065
तेलंगाना	
25	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, चंद्रायनगुट्टा , पोस्ट ऑफिस- केशोगिरी , हैदराबाद, तेलंगाना-500005
26	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, रंगारेड्डी , पीएस- जवाहरनगर , पोस्ट- हकीमपेट, मंडल शमीरपेट , जिला- मेडचल मलकाजगिरी , तेलंगाना-500078
त्रिपुरा	
27	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, आदरणी , अगरतला, त्रिपुरा-799012
उत्तराखंड	
28	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, काठगोदाम , नैनीताल, उत्तराखंड-263126
उत्तर प्रदेश	
29	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226002
30	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, सोनहुल , चकिया , चंदौली , उत्तर प्रदेश-232103
31	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, अमेठी स्थित त्रिसुंडी , पोस्ट ऑफिस- रामगंज , जिला अमेठी , उत्तर प्रदेश-228159
32	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, प्रयागराज , पोस्ट- इस्माइलगंज , जिला- प्रयागराज , उत्तर प्रदेश-211022
33	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, रामपुर, उत्तर प्रदेश-244901
पश्चिम बंगाल	

34	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल-713214
35	ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, सिलीगुड़ी, गाँव- कावाखली, पोस्ट- सुश्रुत नगर, जिला- दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल -734012

13. कंप्यूटर आधारित परीक्षा का केंद्र / शहर :

पी.ई.टी. और पी.एस.टी. में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से तय किया जाएगा, क्योंकि सभी पी.ई.टी./ पी.एस.टी. उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को सी.बी.टी. के लिए चयनित किया जाएगा।

14. बायोमेट्रिक:

अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग और उसके बाद पी.ई.टी/पी.एस.टी से गुज़रना होगा।

15. परीक्षा योजना : सिपाही (तकनीकी और ट्रेड्समैन और पायनियर) के लिए

शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी.ई.टी.) और शारीरिक मानक परीक्षण (पी.एस.टी.), रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (आर.एफ.आई.डी.) और मापने के लिए डिजिटल उपकरण के ज़रिए किए जाएंगे।

i) **शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी.ई.टी.**):

(क) अभ्यर्थियों को नीचे दिए गए समय सीमा में पी.ई.टी. (दौड़) पास करनी होगी:

पद/व्यवसाय(ट्रेड़)	पुरुष	महिला
(तकनीकी और ट्रेडसमैन के लिए)		
सिपाही/चालक, सिपाही /मोटर मैकेनिक वाहन, सिपाही /माली, सिपाही/पेंटर, सिपाही/बढ़ई, सिपाही/ब्रास बैंड, सिपाही /पाइप बैंड, सिपाही/मोची, सिपाही /दर्जी और सिपाही /बिगुलर	24 मिनट में 05 किलोमीटर	8.30 मिनट में 1.6 किलोमीटर
सिपाही/रसोइया एवं जलवाहक, सिपाही/नाई सह हेयर ड्रेसर, सिपाही /धोबी पुरुष और सिपाही/धोबी महिलाएं, सिपाही/ सफाई कर्मचारी	10 मिनट में 1.6 किलोमीटर	12 मिनट में 1.6 किलोमीटर
(**पायनियर विंग के लिए**)		
सिपाही /राजमिस्त्री(मैसन) सिपाही/इलेक्ट्रीशियन	09 मिनट में 1.6 किलोमीटर	--

(ख) यदि किसी महिला उम्मीदवार की जांच में वह गर्भवती पाई जाती है तो, गर्भावस्था की अवधि चाहे जो भी हो, उसे प्रसवोत्तर अवधि तक अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को प्रास्थगित रखा जाएगा। जिस पद के लिए महिला उम्मीदवार का चयन किया गया है, वह पद उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। प्रसव की तारीख के छह सप्ताह बाद, पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी.ई.टी.) पुन: ली जाएगी। यदि वह फिट पाई जाती है और संबंधित श्रेणी की सामान्य वरीयता (मेरिट) सूची में जगह पाती है तो उसे आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त किया जा सकता है और सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता का लाभ दिया जा सकता है।

(ग) जो उम्मीदवार दौड़ में उत्तीर्ण नहीं होंगे, उन्हें बोर्ड के पीठासीन अधिकारी द्वारा कारण बताते हुए अस्वीकृति पर्ची (रिजेक्शन स्लिप) देकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।

(घ) पी.ई.टी. (दौड़) में कोई अपील नहीं है।

(ङ) अभ्यर्थियों को पहचान हेतु कम से कम एक फोटो युक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा, जैसे ड्राइविंग

लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल/विश्वविद्यालय/कॉलेज से जारी पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड, मूल पासपोर्ट।

ii) **शारीरिक मानक परीक्षण (पी.एस.टी.)** :

पी.एस.टी. सिर्फ़ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए आयोजित किया जाएगा जो पी.ई.टी. स्टेज में अर्हता प्राप्त करेंगे। पी.एस.टी. में ऊंचाई, सीना और वज़न (जैसा लागू हो) का माप शामिल होगा। सिपाही (तकनीकी एवं ट्रेडमैन) के पद के लिए शारीरिक मानक निम्नलिखित हैं:

(क) ऊंचाई :

1. पुरुष-170 सेमी (न्यूनतम) और महिला-157 सेमी (न्यूनतम)।
2. ऊपर बताए अनुसार**,** अभ्यर्थियों की कुछ श्रेणियों को ऊंचाई में छूट की अनुमति है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई का छूट मानक निम्नलिखित हैं**:**

क्र. सं.	**के लिए छूट**	**पुरुष** **(** से.मी.)	**महिला** **(** से.मी.)
(ए)	अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवार	162.5	150.0
(बी)	पूर्वोत्तर राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों) के सभी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार	157.0	147.5
(सी)	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के सभी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार	160.0	147.5
(डी)	गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा , मराठा श्रेणी के उम्मीदवार और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवार।	165.0	155.0
(ई)	पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उम्मीदवार	162.5	152.5
(एफ)	गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जी.टी.ए.) के उम्मीदवार, जिसमें दार्जिलिंग ज़िले के तीन सब-डिवीज़न शामिल हैं, यानी दार्जिलिंग, कालिमपोंग और कुर्सियांग और इन ज़िलों के ये "मौज़ा" सब-डिवीज़न शामिल हैं: (1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा अदलपुर (7) पहारू (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-I (10) पंतपति वन-I (11) महानदी वन (12) चंपासारी वन (13) सालबारी छठ पार्ट -II (14) सिटोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा	157.0	152.5

	(18) निपनिया		

(ख) छाती: पुरुष अभ्यर्थियों के सीने के माप का मानक निम्नलिखित होगा :

1. बिना फुलाए-**80** सेमी और न्यूनतम फैलाव-**05** सेमी ।
2. अभ्यर्थियों की कुछ श्रेणियों को सीने की माप में छूट की अनुमति है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप के लिए निर्धारित छूट हेतु मानक निम्नलिखित हैं**:**

क्र. स.	**के लिए छूट**	बिना फुलाए **(से.मी. में)**	**न्यूनतम** फैलाव **(से.मी. में)**
(ए)	अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवार	76	5
(बी)	गढ़वाली , कुमाऊंनी , डोगरा , मराठा श्रेणी के उम्मीदवार और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवार।	78	5
(सी)	पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) के उम्मीदवार, जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन सब-डिवीजन यानी दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सेओंग शामिल हैं और इन जिलों के ये "मौजा" सब-डिवीजन शामिल हैं: (1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा अदलपुर (7) पहारू (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-I (10) पंतपति वन-I (11) महानदी वन (12) चंपासारी वन-II (13) सालबारी छठ पार्ट -II (14) सिटोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपनिया	77	5

3. **महिला अभ्यर्थियों के सीने का माप नहीं लिया जाएगा**।

(ग) इस स्टेज में, केवल ऊंचाई और सीने में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच/पात्रता की जांच भी की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दावे के समर्थन में संबंधित दस्तावेज साथ लाएँ।

(घ) वज़न : चिकित्सा मानकों के अनुसार, ऊंचाई और आयु के अनुपात में वजन होना चाहिए।

iii) जो उम्मीदवार शारीरिक मानकों (यानी कद और सीने) में अयोग्य घोषित किए जाते हैं, वे यदि चाहें तो उसी दिन, पीठासीन अधिकारी(पी.ओ.) के माध्यम से, उस केंद्र के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, और इसके बाद इस संबंध में कोई और

अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

iv) केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को भर्ती के अगले स्टेज अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) के लिए बुलाया जाएगा, जो पी.ई.टी. और पी.एस.टी. में उत्तीर्ण होंगे। उम्मीदवार की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत जांच, दस्तावेज सत्यापन(डी.वी.)/विस्तृत चिकित्सा परीक्षण(डी.एम.ई.) के समय की जाएगी। इसलिए, ट्रेड टेस्ट और डी.एम.ई./आर.एम.ई. में शामिल होने से पहले, समय-समय पर इस नोटिस में बताए गए अनुसार अपनी पात्रता की जांच करना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी होगी।

v) भूतपूर्व सैनिकों (ई.एस.एम.) के लिए पी.ई.टी./पी.एस.टी. परीक्षा में पूर्ण छूट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए पी.ई.टी. आयोजित नहीं किया जाएगा, तथापि भूतपूर्व सैनिकों को केवल लंबाई, सीना और वजन की माप दर्ज कराने के लिए पी.एस.टी. में उपस्थित होना होगा। **हालांकि, उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.), ट्रेड/स्किल टेस्ट और चिकित्सा जांच में उत्तीर्ण होना होगा।**

vi) **कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.):**

(क) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र होगा, जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, जिसकी संरचना निम्नलिखित प्रकार से होगी :

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि / अनुमत समय
ए	सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति	25	25	02 घंटे
बी	सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता	25	25	
सी	सामान्य गणित	25	25	
डी	अंग्रेजी/हिंदी	25	25	

(ख) सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषा में आयोजित की जाएगी।

(ग) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए **0.25 अंकों की नकारात्मक अंकन होगा**। अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय इसे ध्यान में रखें।

(घ) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) की तिथि और केंद्र के बारे में अभ्यर्थियों को केवल के0रि0पु0 बल की वेबसाइट के माध्यम से जारी प्रवेश पत्र के द्वारा सूचित किया जाएगा।

(ङ) प्राप्त अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(च) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का सामान्यकरण किया जाएगा और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम योग्यता सूची और कट ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

(छ) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) में प्रश्न मैट्रिक स्तर के होंगे।

(ज) अभ्यर्थियों को कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए उन्हें परीक्षा हॉल के अंदर इन्हें नहीं लाने दिया जाएगा।

(झ) **परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा:**

1) **<u>सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति:</u>** विश्लेषणात्मक योग्यता और पैटर्न को देखने और पहचान करने की क्षमता का परीक्षण मुख्य रूप से गैर-मौखिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इस घटक में समरूपता, समानता और अंतर, स्थानिक दृश्यता, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेदन, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क और चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय

संख्या श्रृंखला, गैर-मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग आदि पर प्रश्न शामिल हो सकते हैं।

2) **सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता** : इस भाग में प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के बारे में सामान्य जागरूकता की परीक्षा लेना है। इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्न उम्मीदवार की अपने परिवेश के प्रति सामान्य जागरूकता का परीक्षण करने के उद्देश्य से होंगे, जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे, विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक विज्ञान, सामान्य नीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित। ये प्रश्न ऐसे होंगे कि इनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

3) **प्रारंभिक गणित** : इस प्रश्न पत्र में नंबर सिस्टम से संबंधित समस्याओं, पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और भिन्नों तथा संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे।

4) **अंग्रेजी/हिंदी** : अभ्यर्थी की बुनियादी अंग्रेजी/हिंदी समझने की क्षमता और उसकी बुनियादी समझ का परीक्षण किया जाएगा।

vii) **ट्रेड परीक्षा :**

(क) सी0बी0टी0 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के समूह में से अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

(ख) ट्रेड/दक्षता टेस्ट, प्रयोगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और इसकी प्रकृति सिर्फ अर्हता प्राप्त करने के लिए होगी। 50 अंकों के प्रयोगात्मक ट्रेड टेस्ट में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 20 अंक अनिवार्य रूप से प्राप्त करने होंगे।

(ग) ट्रेड टेस्ट के दौरान, अभ्यर्थी को उस विशेष ट्रेड/पद से संबंधित किसी गतिविधि को करने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए वह उपस्थित हुआ है/आवेदन किया है। प्रत्येक ट्रेड/पद के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

i	चालक	ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान। हल्के और भारी वाहनों इत्यादि की हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग और रखरखाव ।
ii	वाहन मोटर मेकेनिक	ऑटोमोबाइल फिटर/मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान। औजारों का उपयोग इत्यादि।
iii	बिगुलर	बिगुल बजाना, संभालना और इसका रखरखाव करना।
iv	दर्जी	व्यक्तियों की माप लेना, टेरी कॉटन वर्दी/सिविल कपड़ों को काटना/सिलाई करना। गर्म कपड़े/वर्दी इत्यादि की कटिंग/सिलाई करना।
v	मोची	अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। जूतों की पॉलिश करना, औजारों को इस्तेमाल, चमड़े को काटना, जूतों की मरम्मत और सिलाई करना। नए जूते बनाना।
vi	बढ़ई	औजारों को उपयोग, लकड़ी काटना, फिटिंग, सामान की पॉलिश और फिनिशिंग करना, दरवाजों और खिड़कियों को फिटिंग करने का ज्ञान/ खिड़कियों पर कांच के शीशे लगाने का ज्ञान। लकड़ी के बक्से, रैक और लकड़ी का डिब्बा (टिंबर ट्रस) बनाने में सक्षम।
vii	पेंटर	रंगों, पेंट्स, शेड्स, साइन बोर्ड की पेंटिंग, पेंटिंग और ड्राइंग/मोटर वाहन इत्यादि की स्प्रे पेंटिंग का ज्ञान, विभिन्न पेंट्स/डिस्टेंपरिंग को मिलाकर कलर स्कीम का का ज्ञान। बैनरों और बोर्डों पर साफ-साफ अक्षर लिखने में सक्षम। वुड पेंटिंग और सीजीआई शीट पेंटिंग के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा का पता लगाने में सक्षमता।

viii	माली	पौधारोपण का ज्ञान, पौधों का रखरखाव, बीजों तथा उनके मौसम का ज्ञान, उर्वरकों और खाद की जानकारी।
ix	ब्रास बैंड	ब्रास बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान।
x	पाइप बैंड	पाइप बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान।
xi	रसोइया	100 व्यक्तियों के लिए चपाती और चावल/ सब्जी/ दाल/ सांभर/इडली इत्यादि बनाना, मीट/मछली/अंडा/खीर बनाने का ज्ञान।
xii	जलवाहक	बर्तन धोना, लगभग 100 व्यक्तियों के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना तथा सब्जी इत्यादि काटना।
xiii	नाई / हेयर ड्रेसर(महिला)	नाई के लिए औजारों का उपयोग, नाई (पुरूष) के लिए पुरुषों के बाल काटना और शेविंग करना तथा हेयर ड्रेसर (महिला) के लिए औजारों का उपयोग, महिलाओं के बाल काटने की जानकारी।
xiv	धोबी(पुरूष/ महिला)	कपड़ों की धुलाई, खाकी सूती वर्दी, ऊनी और टेरिकॉटन वर्दी की इस्त्री।
xv	सफाई कर्मचारी	फर्श, खुले क्षेत्र में झाडू लगाना और शौचालयों, बाथरूम इत्यादि की सफाई करना।
xvi	राज-मिस्त्री (पायनियर)	राज-मिस्त्री(मैसन) के काम का ज्ञान, उपकरणों की हैंडलिंग, सीमेंट का मिश्रण, विशिष्ट निर्माण के लिए दीवार/पिलर के क्षेत्र की गणना का ज्ञान।
xvii	इलेक्ट्रीशियन (पायनियर)	बिजली के काम का ज्ञान। एम.सी.बी. की फिटिंग, प्लग / बल्ब / ट्यूबलाइट / होल्डर्स की फिटिंग,11000 वोल्ट और 440 वोल्ट की सप्लाई, अर्थिंग पैनल तैयार करना, जेनरेटर सेट की फिटिंग। तांबे और एल्यूमीनियम तार के प्रयोग की जानकारी।

viii) **दस्तावेज़ सत्यापन** :

(क) पी.ई.टी./पी.एस.टी., सी.बी.टी.**,** और ट्रेड/ कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के समूह में से दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अभ्यर्थी चुने जाएंगे।

(ख) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती केंद्र पर रिपोर्ट करते समय मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी साथ लेकर आएं। दस्तावेज़ सत्यापन के समय, निम्नलिखित दस्तावेज़ों का फिजिकल सत्यापन किया जाएगा :

1) आयु, नाम और शैक्षिक योग्यता साबित करने के लिए मैट्रिक/ माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र ।

2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र/स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (पी.आर.सी.)।

3) नोटिस के संलग्नक-II में निर्धारित प्रारूप में सेवारत रक्षा कार्मिकों से प्रमाण पत्र।

4) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से संलग्नक-III में निर्धारित प्रारूप में वचनबद्धता (अंडरटेकिंग)।

5) आरक्षण / आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों से नोटिस के संलग्नक -IV, संलग्नक-V और संलग्नक-VII में निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (यथा लागू)।

6) लंबाई / सीने की माप में छूट पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों से नोटिस के संलग्नक-VI में निर्धारित प्रमाण पत्र।

7) नोटिस के पैरा 7.3 के अंतर्गत श्रेणी क्रम संख्या 04, 05 एवं 06 में वर्णित दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदकों के संबंध में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र ।

8) सिपाही/चालक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का ड्राइविंग लाइसेंस।

9) सिपाही/एम.एम.वी. (फिटर) पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का आई.टी.आई. प्रमाणपत्र एवं अनुभव प्रमाणपत्र।

ix) **विस्तृत चिकित्सा जांच (डी.एम.ई.) :**

(क) चुने गए (शॉर्टलिस्ट किए गए) अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सकीय फिटनेस का आकलन करने के लिए के0रि0पु0 बल द्वारा गठित चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सीय बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा, सी0ए0पी0एफ0 और असम राइफल में राजपत्रित अधिकारी और गैर-राजपत्रित अधिकारी की भर्ती के लिए गृह मंत्रालय के दिनांक 20/05/2015 के यूओ संख्या ए.छः-1/2014-भर्ती (एसएसबी), गृह मंत्रालय के दिनांक 31/05/2021 के का.ज्ञा. सं. ई.32012/एडीजी (चिकित्सा)/ डीएमई /आरएमई /डीए-1/2020 (भाग फाइल)/1166 एवं दिनांक 09/03/2026 के कार्यालय ज्ञापन सं0 45020/ 03/2025-पीपी/28 के तहत जारी दिशा-निर्देशों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

(ख) चिकित्सा परीक्षण (एक्स-रे और प्रयोगशाला) केवल उन अभ्यर्थियों का किया जाएगा, जो प्रारंभिक चिकित्सा जांच के बाद फिट पाए जाते हैं।

(ग) चिकित्सा परीक्षण के मामले में, "अस्थायी अयोग्यता" की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षणों के परिणामस्वरूप गर्भवती पाई जाती है, भले ही गर्भावस्था की अवधि कितनी भी हो, उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति तब तक रोकी जाएगी जब तक कि प्रसूति नहीं हो जाती। जिस पद के लिए महिला अभ्यर्थी का चयन किया गया है, वह उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। प्रसूति की तारीख के छह सप्ताह बाद पंजीकृत चिकित्सक द्वारा दिए गए फिटनेस चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर पुन: विस्तृत चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। यदि वह फिट पाई जाती है तो उसे आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त किया जाएगा और समय-समय पर सरकार के संशोधित निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा।

(घ) विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डी.एम.ई.) के दौरान अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को पुनरीक्षण चिकित्सा जाँच (आर.एम.ई.) की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वे अनुलग्नक-VIII के अनुसार अयोग्य होने के कारणों को दर्शाते हुए इसकी सूचना लिखित रूप में सहमति अपने हस्ताक्षर करके दें। अभ्यर्थियों का पुनरीक्षण चिकित्सीय परीक्षण (आर.एम.ई.), विस्तृत चिकित्सीय परीक्षण (डी.एम.ई.) के क्रम में, यथासंभव डी.एम.ई. के अगले दिन आयोजित किया जाएगा। डी.एम.ई. में उनकी अयोग्यता के बारे में सूचित किए जाने के बाद भारत सरकार/गृह मंत्रालय के दिनांक 31/05/2021 के का. ज्ञा. फा. सं.- ई. 32012/एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई व आरएमई/डीए-1/2020-(भाग-फ़ाइल)/1166 के अनुसार आर.एम.ई. के लिए सहमति अनुलग्नक-VIII में अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करके शीघ्र प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ङ) पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड निर्देशानुसार विशेष रूप से उस कमी के लिए अभ्यर्थी की जांच करेगा जिसके लिए डी.एम.ई. के दौरान अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया गया है।

(च) यदि अभ्यर्थी आर.एम.ई. में फिट पाया जाता है, तो उसका नाम अंतिम योग्यता सूची /परिणाम तैयार करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट अभ्यर्थी के डेटा /सूची में शामिल किया जाएगा।

x) **नेत्र परीक्षण** :

सिपाही (चालक) के लिए नेत्र दृष्टि	रंग बोध (कलर परसेप्सन) मानक सीपी-II होना चाहिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नए चिकित्सा दिशा-निर्देशों में निहित है:		
	बिना किसी सहायता के दृश्यता तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)	बेहतर आँख	एन6
		खराब आँख	एन9
		बेहतर आँख	6/6

	बिना सुधार की गई दृश्यता तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)	खराब आँख	6/9
	अपवर्तन (Refrection)	किसी भी प्रकार का दृष्टि सुधार, यहां तक कि चश्में द्वारा भी, स्वीकार्य नहीं है।	
	वर्णांधता (Color Vision)	इशिहारा (ISIHARA) द्वारा सीपी II	
	अभ्युक्ति	बाईनोकुलर (Binocular) दृष्टि अपेक्षित है।	
सिपाही (एम.एम.वी.) के लिए नेत्र दृष्टि	रंग बोध (कलर परसेप्सन) मानक CP-III होना चाहिए जैसा कि निम्नलिखित विवरणों सहित वर्ष 2015 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नए चिकित्सा दिशा-निर्देशों में निहित है:-		
	बिना किसी सहायता के दृश्यता तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)	बेहतर आँख	एन6
		खराब आँख	एन9
	बिना सुधार की गई दृश्यता तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)	बेहतर आँख	6/6
		खराब आँख	6/9
	अपवर्तन (Refrection)	किसी भी प्रकार का दृष्टि सुधार, यहां तक कि चश्में द्वारा भी, स्वीकार्य नहीं है।	
	वर्णांधता (Color Vision)	इशिहारा (ISIHARA) द्वारा सीपी III	
	अभ्युक्ति	दाएं हाथ वाले व्यक्ति के मामले में, दायीं आँख बेहतर आँख और बाएं हाथ वाले व्यक्ति के मामले में, बायीं आँख बेहतर आँख होती है। बाईनोकुलर (Binocular) दृष्टि अपेक्षित है।	
सिपाही (चालक) व सिपाही (एमएमवी) को छोड़कर अन्य सभी पदों/ ट्रेडों के लिए आँखों की दृष्टि	रंग बोध (कलर परसेप्सन) मानक सीपी-IV होना चाहिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नए चिकित्सा दिशा-निर्देशों में निहित है:		
	बिना किसी सहायता के दृश्यता तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)	बेहतर आँख	एन6
		खराब आँख	एन9
	बिना सुधार की गई दृश्यता तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)	बेहतर आँख	6/6
		खराब आँख	6/9
	अपवर्तन (Refrection)	➢ दूर दृष्टि हेतु किसी भी प्रकार के दृष्टि सुधार की अनुमति नहीं है। ➢ केवल निकट दृष्टि के लिए चश्में के साथ पढ़ने के योग्य होना चाहिए।	
	वर्णांधता (Color Vision)	इशिहारा (ISIHARA) द्वारा सीपी IV	
	अभ्युक्ति	➢ दाएं हाथ वाले व्यक्ति के मामले में, दायीं आँख बेहतर आँख और बाएं हाथ वाले व्यक्ति के मामले में, बायीं आँख बेहतर आँख होता है। ➢ बाईनोकुलर (Binocular) दृष्टि अपेक्षित है। न्यूनतम रंग बोध के तहत लाल और हरे रंगों की पहचान अपेक्षित है।	

xi) अभ्यर्थियों के घुटने मिले हुए न हो, चपटे तलवे, वैरिकोज़ वेन या भेंगी आँखें न हों। उम्मीदवार मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो ताकि ऊंचे पर्वतीय इलाकों तथा सीमा क्षेत्रों में जहां पर अत्यधिक खराब मौसम रहता है, वहां पर ड्यूटी कर सके तथा कुशलतापूर्वक ड्यूटियों के निर्वहन में बाधा डालने की संभावना वाले किसी भी दोष से मुक्त होना चाहिए।

16. परीक्षा में प्रवेश :

i) सभी अभ्यर्थी जो अंतिम तिथि तथा समय तक इस विज्ञापन के प्रतिउत्तर में स्वयं को पंजीकृत करते हैं एवं जिनके आवेदन सही पाए जाते हैं और परीक्षा की इस सूचना के नियमों और शर्तों के अनुसार अस्थाई रूप से स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें रोल नंबर दिए जाएंगे और पी.ई.टी./पी.एस.टी. में उपस्थित होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

ii) के0रि0पु0 बल पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, इसलिए उम्मीदवारी केवल अस्थाई रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु आदि की आवश्यकताओं को ध्यान से देखें और स्वयं को संतुष्ट करें कि वे इस पद/ट्रेड के लिए योग्य हैं। दस्तावेज़ सत्यापन और डी.एम.ई. के समय सहायक दस्तावेज़ों की प्रतियां मांगी जाएंगी। जांच के समय यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे की पुष्टि नहीं होती है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में के0रि0पु0 बल का निर्णय अंतिम होगा।

iii) परीक्षा के सभी स्टेज के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे। परीक्षा के किसी भी स्टेज के लिए प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के अपडेट के लिए नियमित रूप से के0रि0पु0बल की वेबसाइट देखते रहें।

iv) अभ्यर्थियों के लिए पी.ई.टी./पी.एस.टी. की समय-सारणी और परीक्षा के शहर/केन्द्र की सूचना के0रि0पु0बल की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को पी.ई.टी./पी.एस.टी. की तारीख से एक सप्ताह पहले के0रि0पु0 बल की वेबसाइट पर अपना विवरण नहीं मिलता है, तो उसे अपना आवेदन जमा करने के प्रमाण के साथ तुरंत हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए। ऐसा करने में विफलता उसे किसी भी दावे पर विचार करने से वंचित कर देगी।

v) के0रि0पु0 बल से किसी भी पत्राचार को संबोधित करते समय अभ्यर्थी को नाम, जन्म तिथि और परीक्षा के नाम के साथ पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर लिखना होगा। इन विवरणों को प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

vi) प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भर्ती प्रक्रिया के अगले स्टेज से 01 सप्ताह पहले के0रि0पु0 बल की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र का 02(दो) रंगीन प्रिंट आउट लाना होगा।

vii) के0रि0पु0बल की वेबसाइट से पी.ई.टी./पी.एस.टी., सी.बी.टी., ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन, और डी.एम.ई./आर.एम.ई. के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थता के मामले में, अभ्यर्थियों को पी.ई.टी., पी.एस.टी., सी.बी.टी., ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और डी.एम.ई./आर.एम.ई. जो भी स्टेज लागू हो, से कम से कम एक सप्ताह पहले के0रि0पु0 बल से संपर्क करना होगा। प्रवेश पत्र न मिलने की स्थिति में अभ्यर्थी के0रि0पु0बल **हेल्पलाइन नंबर 011- 26160255 पर केवल कार्य दिवसों में (अर्थात सोमवार से शुक्रवार को 1000 से 1800 बजे के बीच) संपर्क कर सकते हैं।**

viii) प्रवेश पत्र के अतिरिक्त, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो, निम्नलिखित मूल वैध फोटो-पहचान प्रमाणों में से कोई एक लाना अनिवार्य है, जिसमें जन्म तिथि हो, जैसा कि प्रवेश पत्र पर भी अंकित है, जैसे:

1) आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंटआउट,
2) मतदाता पहचान पत्र,
3) ड्राइविंग लाइसेंस,
4) पैन कार्ड,
5) पासपोर्ट,
6) नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी/पी.एस.यू.),
7) केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र

ix) यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्म तिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज उनकी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में लाना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र में मेल न होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

x) कोई अन्य दस्तावेज, जो अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में उल्लिखित किया गया हो, उसे भी परीक्षा में उपस्थित

होने के लिए लाया जाना चाहिए।

xi) धुंधली तस्वीर या धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।

17. चयन का तरीका:

i) भर्ती प्रक्रिया में पी.ई.टी., पी.एस.टी., सी.बी.टी., ट्रेड/कौशल परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण (डी.एम.ई./आर.एम.ई.) शामिल होंगे ।

ii) पी.ई.टी. और पी.एस.टी. में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को सी.बी.टी. में शामिल होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

iii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) में नीचे उल्लिखित कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले स्टेज अर्थात ट्रेड/कौशल परीक्षा, डी.वी. और डी.एम.ई./आर.एम.ई. के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए पात्र माना जाएगा:

सिपाही (तकनीकी / ट्रेड्समैन) के लिए		सिपाही (पायनियर विंग) के लिए	
अनारक्षित	30%	अनारक्षित	35%
ई.डब्ल्यू.एस./ओ.बी.सी.	25%	एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./ ई.डब्ल्यू.एस.	33%
अन्य सभी श्रेणियां	20%		

iv) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा(सी.बी.टी.) में अर्हता प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले स्टेज में उपस्थित होने के लिए सी.बी.टी. में उनकी योग्यता के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ।

v) दस्तावेज़ सत्यापन (अर्थात अभ्यर्थियों से आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र/दस्तावेजों का संग्रह और मूल दस्तावेजों के साथ उनका सत्यापन) विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के साथ अधिकारियों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

vi) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ई.डब्ल्यू.एस. और ई.एस.एम. श्रेणियों में अभ्यर्थियों का अंतिम चयन प्रत्येक राज्य / केन्द्र शसित प्रदेश के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग किया जाएगा। (केवल पायनियर पदों के लिए चयन अखिल भारतीय आधार पर किया जाएगा)।

vii) उम्मीदवारों को राज्य / केन्द्र शसित प्रदेश की रिक्तियों के लिए, ऑनलाईन आवेदन पत्र में उनके द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेज सत्यापन (डी.वी.) एवं डी.एम.ई. के समय संबंधित अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर ही विचार किया जाएगा। **अभ्यर्थियों को अधिवास (डोमिसाइल) राज्य और ऑनलाईन आवेदन पत्र में जानकारी प्रदान करते समय किसी भी परिस्थिति में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र और दस्तावेज सत्यापन (डी.वी.) एवं डी.एम.ई. के समय उनके द्वारा प्रस्तुत अधिवास प्रमाण पत्र में उल्लिखित राज्य में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उनकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी और उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी** ।

viii) अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग ,ई.डब्ल्यू.एस. और ई.एस.एम. अभ्यर्थी, जो अन्य समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट के बिना, अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए हैं , को रिक्तियों के आरक्षित हिस्से में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को, पात्र अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग ,ई.डब्ल्यू.एस. और ई.एस.एम. अभ्यर्थियों से अलग से भरा जाएगा।

ix) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ई.डब्ल्यू.एस. और ई.एस.एम. अभ्यर्थी जो आयु सीमा, लंबाई और सीना माप, अनुभव या योग्यता, अवसरों की संख्या आदि जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रदान किए गए हैं, उसकी तुलना में विस्तारित विचार क्षेत्र के तहत इन मानकों में छूट के आधार पर योग्यता प्राप्त करते हैं, तो भले ही उसका / उसकी योग्यता मेरिट सूची में स्थिति कुछ भी हो, उन्हे आरक्षित रिक्तियों के लिए माना जाएगा। जहाँ तक भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) के मामलों का संबंध है, उनकी आयु से की गई सैन्य सेवा की कटौती आरक्षित या अनारक्षित पदों/ट्रेड्स के लिए अनुमेय है, और इस प्रकार की छूट को आयु के संबंध में शिथिल मानक (relaxed standards) नहीं माना जाएगा।

x) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्टेज में उनका प्रवेश पूरी तरह से अस्थाई होगा, जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगा। यदि पी.ई.टी., पी.एस.टी., सी.बी.टी., ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा से पहले या बाद में, साथ ही नियुक्ति का प्रस्ताव जारी होने और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में शामिल होने के बाद, किसी भी समय सत्यापन करने यह पाया जाता है कि वे इनमें से पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो पद के लिए उनकी उम्मीदवारी/ चयन के0रि0पु0 बल द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

xi) परीक्षा में सफलता नियुक्ति का अधिकार प्रदान नही करती है जब तक कि सरकार आवश्यक समझी जाने वाली जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

xii) यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हो जाता है और अंतिम परिणाम घोषित होने के 01 माह के भीतर के0रि0पु0 बल से उसे कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तुरंत के0रि0पु0 बल भर्ती निदेशालय के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना चाहिए।

18. बराबरी (टाई) मामलों का समाधान:

सी.बी.टी .में अभ्यर्थियों के अंकों में बराबरी (Tie) होने की स्थिति में, ऐसे मामलों को निम्नलिखित मानदंडों को दिए गए क्रम में एक के बाद एक को लागू करते हुए, तब तक हल किया जाएगा जब तक कि बराबरी (टाई) का समाधान नहीं हो जाता है:

(क) सी.बी.टी. के भाग-'ए' में अंक।
(ख) सी.बी.टी. के भाग-'बी' में अंक।
(ग) जन्म तिथि, आयु में बड़े अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।
(घ) नामों का वर्णानुक्रम।

19. <u>कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई</u> :-

i) यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान नीचे सूचीबद्ध किसी भी कदाचार में किसी भी स्तर पर संलिप्त पाए जाते हैं, तो इस परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें नीचे उल्लिखित अवधि के लिए के0रि0पु0 बल की परीक्षा के लिए वंचित कर दिया जाएगा:-

क्र. सं.	कदाचार का प्रकार	वंचित अवधि
1	परीक्षा से संबंधित कोई भी सामग्री जैसे रफ सीट, प्रवेश पत्र आदि की प्रति परीक्षा हॉल से बाहर ले जाना या परीक्षा के संचालन के दौरान अनधिकृत व्यक्तियों को देना।	02 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना बताए परीक्षा स्थल को छोड़ना ।	02 वर्ष
3	परीक्षा पदाधिकारियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड या के0रि0पु0बल के प्रतिनिधि आदि के साथ किसी भी तरह से दुर्व्यवहार, डराना या धमकी देना।	03 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा डालना/अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना।	03 वर्ष
5	ऐसे बयान देना जो गलत या झूठा है, तात्विक सूचना को छुपाना, झूठा दस्तावेज जमा करना आदि।	03 वर्ष
6	अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित तरीके से अपनी	03 वर्ष

	उम्मीदवारी के लिए समर्थन/प्रभाव प्राप्त करना।	
7	'' स्विच ऑन'' या '' स्विच ऑफ'' मोड में मोबाइल फोन रखना।	03 वर्ष
8	नियमों के विपरीत एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार उपस्थित होना।	03 वर्ष
9	एक उम्मीदवार जो उसी परीक्षा में, परीक्षा से संबंधित मामलों पर भी काम कर रहा है।	03 वर्ष
10	परीक्षा संबंधी आधारभूत संरचना/उपकरण क्षतिग्रस्त करना।	05 वर्ष
11	जाली प्रवेश पत्र, पहचान प्रमाण आदि के साथ परीक्षा में शामिल होना।	05 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्रों / हथियारों का रखना।	05 वर्ष
13	परीक्षा पदाधिकारियों यानि पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड या के0रि0पु0 बल के प्रतिनिधि आदि पर हमला, बल प्रयोग, किसी भी तरह से शरीरिक नुकसान पहुंचाना।	07 वर्ष
14	परीक्षा अधिकारियों को हथियारों/आग्नेयास्त्रों से डराना/ धमकाना।	07 वर्ष
15	परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना, किसी कागज या शरीर के अंगों पर लिखित सामग्री आदि का उपयोग करना।	07 वर्ष
16	परीक्षा हॉल में ब्लूटूथ डिवाइस, जासूसी कैमरे और कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखना।	07 वर्ष
17	प्रतिरूपण करना/किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण प्राप्त करना।	07 वर्ष
18	स्नैपशॉट लेना, प्रश्न पत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि के वीडियो बनाना।	07 वर्ष
19	रिमोट डेस्क्टॉप सॉफ्टवेयर/ऐप्स /लैन/वैन, आदि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनल साझा करना।	07 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या बाद में किसी भी समय परीक्षा सर्वर, डेटा और परीक्षा प्रणाली को हैक करने या हेरफेर करने का प्रयास।	07 वर्ष

ii) के0रि0पु0बल यदि उचित समझे, तो मामले की सूचना पुलिस/जांच एजेंसियों को भी दी जा सकती है ।

20. अंतिम निर्णय:

चयनित अभ्यर्थियों के लिए उनकी पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, गलत सूचना देने के लिए दंड, चयन का तरीका, परीक्षा के संचालन, परीक्षा केन्द्र के आवंटन, कदाचार में लिप्त होने पर वर्जित करना, योग्यता सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में के0रि0पु0बल का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

21. न्यायालय का क्षेत्राधिकार:

इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद उस न्यायालय/ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा जिसके अंतर्गत के0रि0पु0बल की परीक्षा का स्थान, जहां अभ्यर्थी पी.ई.टी. / पी.एस.टी. में शामिल हुए हैं, आता हो।

22. यह निर्णय लिया गया है कि **अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.टी.) संचालित करने वाली के0रि0पु0 बल अथवा संबंधित एजेन्सी अपने पोर्टल पर भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंक और रैंकिंग उपलब्ध कराएगी।**

23. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:

i) जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि, अधिवास, माता-पिता का नाम ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन से मेल नहीं खाते हैं, उनकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।

ii) बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान, **यदि उम्मीदवार का केवल एक डेटा**, जैसे एल.टी.आई. अथवा फोटो, **पी.ई.टी. परीक्षा** और भर्ती के किसी अन्य स्टेज के दौरान एकत्र किए गए बायोमेट्रिक डेटा से मेल खाता है, तो उन्हें **संदिग्ध** अभ्यर्थियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, के0रि0पु0 बल उम्मीदवारी पर निर्णय लेने के लिए संबंधित अधिकारियों/ फॉरेंसिक विशेषज्ञों आदि से मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

iii) बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान, यदि बायोमेट्रिक डेटा अर्थात् एल.टी.आई. और फ़ोटो दोनों ही मेल नहीं खाते हैं, तो अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और इस आशय की अपेक्षित अभ्युक्ति संबंधित

दस्तावेजों, बोर्ड की कार्यवाही रिपोर्ट में अंकित कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को **प्रतिरूपधारक (Impersonator)** के रूप में चिह्नित किया जाएगा ।

iv) धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवार/प्रतिरूपधारक के खिलाफ भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी के परामर्श से केंद्र प्रभारी (Centre-in-charge) द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद, संबंधित भर्ती केंद्र पर पी.ई.टी./पी.एस.टी. की कार्रवाई के समापन के उपरांत ऐसे मामलों का निपटान किया जाएगा और संबंधित केंद्र प्रभारी द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

v) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें:-

1.	आवेदन करने से पहले, अभ्यथियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2	ऑनलाइन फ़ॉर्म जमा करने का सत्र 30 मिनट का है। 30 मिनट का समय पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को फिर से लॉग-इन करना होगा।
3.	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि समापन दिन के दौरान वेबसाइट पर भारी लोड के कारण के0रि0पु0बल की वेबसाइट से डिस्कनेक्ट/ असमर्थता या लॉगिन करने में विफलता की संभावना से बचा जा सके।
4.	भर्ती बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन/डी.एम.ई. के समय अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रह और उनका सत्यापन किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारी केवल अस्थाई रूप से स्वीकार की जाएगी। आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए और सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद के लिए पात्र हैं। जब दस्तावेज सत्यापन/डी.एम.ई. के समय दस्तावेजों की जांच की जाती है, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाणित नहीं पाया जाता है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / भूतपूर्व सैनिक के लिए उपलब्ध आरक्षण लाभ अथवा परीक्षा की सूचना के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य छूट का लाभ उठाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा क्या वो ऐसे आरक्षण / छूट के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र भी होने चाहिए।
6.	**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति से संबंधित अभ्यर्थी को एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास पर, सोच-समझकर निर्णय लेना होगा कि वह अपने मूल राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहता है या प्रवास वाले राज्य से अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देना चाहता है। यह विकल्प अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरना होगा। आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद इस विकल्प में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर के0रि0पु0बल द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपने मूल राज्य से आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे आवेदन पत्र में अपने वर्तमान अधिवास जिले और राज्य के साथ-साथ अपने मूल जिले और राज्य के बारे में भी जानकारी देनी होगी। ऐसे मामलों में, उसकी उम्मीदवारी मूल राज्य से ही मानी जाएगी।**
7.	**दिव्यांग (PwD) अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**
8.	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल पता और मोबाइल नंबर भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि के0रि0पु0बल द्वारा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से पत्राचार किया जाएगा।
9.	**देय शुल्क:-** केवल सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पद के लिए परीक्षा शुल्क रु. 100/- है । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों को इसमें छूट दी गई है।
10.	अभ्यर्थी को अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम ठीक मैट्रिक प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार ही लिखना होगा, अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय या के0रि0पु0बल की जानकारी में आने पर उनकी उम्मीदवारी रदद् कर दी जाएगी।
11	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में जे.पी.जी. / जे.पी.ई.जी. प्रारूप (50 केबी से 100 केबी) में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ तीन माह से अधिक पुराना

	नहीं होना चाहिए और जिस तारीख को फोटोग्राफ लिया गया है वह फोटोग्राफ पर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। फोटोग्राफ पर तारीख छपे न होने पर आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। फोटो की माप लगभग 35 मिमी (चौड़ाई) x 45 मिमी (ऊंचाई) होनी चाहिए। फोटो में टोपी या चश्मा नहीं होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। यदि उम्मीदवार द्वारा सही फोटो अपलोड नहीं किया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
12	**अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिवास राज्य और जिले के बारे में जानकारी भरते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में के0रि0पु0बल द्वारा अधिवास राज्य और जिले के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित जिले और राज्य तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डी.एम.ई.) के समय उनके द्वारा प्रस्तुत निवास प्रमाण पत्र में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उनकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी और उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डी.एम.ई.) में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
13.	**एक अभ्यर्थी को प्रत्येक श्रेणी यानी तकनीकी एवं ट्रेडसमेन तथा पायनियर के लिए एक-एक पद के लिए आवेदन करने की अनुमति है।** परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। **जो अभ्यर्थी 02 पदों के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें अपनी प्राथमिकताएँ उल्लेखित करनी होंगी।** इसलिए, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। **यदि किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो उसके सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।** यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और परीक्षा (किसी भी स्टेज में) में एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।
14.	**अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि से किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन को तुरन्त अस्वीकार कर दिया जाएगा।**
15.	धुंधले/अस्पष्ट फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को तुरन्त अस्वीकार कर दिया जाएगा।
16.	जब आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा हो जाता है, तो इसे 'अस्थायी रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए। आम तौर पर, ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट किसी भी स्तर पर के0रि0पु0 बल को जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है।
17.	अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार के हाल ही के रंगीन फोटोग्राफ और एक मूल फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, विश्वविद्यालय/ कॉलेज / सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक या केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र परीक्षा स्थल पर लाना अनिवार्य है, जिसके नहीं होने पर उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि अंकित नहीं है**, **तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र में मेल नहीं होने की स्थिति में**, **अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
18.	किसी भी गणमान्य व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और आई.टी. अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
19.	अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि वे योद्धक बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उचित शारीरिक/मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए और **भर्ती के किसी भी स्टेज के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए वे स्वयं पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। भारत सरकार/के0रि0पु0बल/भर्ती केंद्र ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती में भाग लेंगे।**

20.	**परीक्षा के किसी भी स्टेज के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रवेश पत्र समय पर डाउनलोड करने के लिए के0रि0पु0बल की वेबसाइट http://www.rect.crpf.gov.in देखें।**
21.	परीक्षा के किसी भी स्टेज के प्रवेश पत्र से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए, अभ्यर्थी संबंधित भर्ती केंद्र या भर्ती शाखा, ईस्ट ब्लॉक नंबर **7**, तल -**4**, सेक्टर -**01**, आर.के. पुरम, नई दिल्ली की हेल्पलाइन नंबर **011-26160255** पर कार्य दिवसों के दौरान (अर्थात् सोमवार से शुक्रवार 1000 बजे से 1800 बजे तक) संपर्क कर सकते हैं।
22.	शारीरिक मापतौल टेस्ट के लिए अपीलीय अधिकारी संबंधित भर्ती केंद्र के ग्रुप केंद्र के उप महानिरीक्षक होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी पी.एस.टी. बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट नहीं है / सहमत नहीं है, तो वह उसी दिन संबंधित भर्ती केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में कोई और अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। **पी.ई.टी.(दौड़) के विरूद्ध कोई अपील नही है।**
23.	यदि कोई अभ्यर्थी लंबाई का लाभ लेने के लिए जानबूझकर सिर/पैर में चोट (उभार/सूजन) करता है या सिर पर कुछ भी रखता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को भर्ती की आगे की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।
24	भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्टेज में यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रकार की उत्तेजक औषधि / नशीली दवाओं के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे भर्ती की आगे की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।
25	यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हो जाता है और परिणाम घोषित होने के 01 महीने के भीतर के0रि0पु0 बल से उसे कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता, तब उम्मीदवार को तुरंत भर्ती निदेशालय, के0रि0पु0 बल के हेल्पलाईन नंबर पर संपर्क करना चाहिए।
26	अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक स्टेज के समय प्रवेश पत्र की दो रंगीन प्रतियां साथ लानी होंगी। प्रवेश पत्र की एक प्रति परीक्षा केंद्र पर जमा करना अनविार्य है।
27	अपना आवेदन पंजीकृत करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, सिपाही (तकनीकी एवं ट्रेड्समैन तथा पायनियर)-2026 परीक्षा के दौरान शामिल होने वाले पद का नाम चुनें। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने पद की पात्रता मानदंड को पढ़ और समझ लिया है और आवेदित पद के लिए सभी शर्तो को पूरा करते हैं। बाद में, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्टेज पर, यदि यह पाया जाता है कि आप पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, या किसी भी तथ्य को छुपाने के दोषी पाए जाते हैं, तो विभाग द्वारा परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
28	यह विभाग आवेदन पत्र में किसी विशेष भाग में किसी भी सुधार/जोड़ने/हटाने की अस्वीकार्यता के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, कारण चाहे जो भी हों।
29	अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से उस पद/ट्रेड का उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदन कर रहे हैं।
30	नियुक्ति अभ्यर्थियों के निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट किए जाने और अन्य सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने के अधीन होगी।
31	सभी पद वर्दीधारी है। चयनित अभ्यर्थियों को के0रि0पु0 बल के किसी भी प्रशिक्षण संस्थान / ग्रुप केन्द्र में बुनियादी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इस विषय पर सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों के अनुसार सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने में विफल रहने वालों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
32	आयु, शैक्षिक योग्यता, जाति, शारीरिक / चिकित्सा मानक आदि के संबंध में पात्रता मानदंडों की अंतिम जांच चिकित्सा परीक्षा के समय और बल में शामिल होने के समय भी की जाएगी। इसलिए, एक अभ्यर्थी की उम्मीदवारी बल में शामिल होने तक केवल अस्थाई रूप से स्वीकार की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के समय/बल में शामिल होने के समय जब जांच की जाती है और यदि आवेदन में किए गए किसी दावे की पुष्टि नहीं होती है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में के0रि0पु0 बल का निर्णय अंतिम होगा। साथ ही बल में शामिल होने के बाद, जन्मतिथि/ शिक्षा/ जाति/ अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता/ वास्तविकता संबंधित बोर्ड/ प्राधिकरण/ संस्थान से सत्यापित की जाएगी और किसी भी स्तर पर कोई विसंगति पाए जाने पर, बिना कोई कारण बताए

	संबंधित अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
33	भर्ती और परीक्षा/परिणाम आदि के संबंध में विज्ञापन में कोई भी संशोधन या अपडेट केवल के0रि0पु0 बल की वेबसाइट **https://www.rect.crpf.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।
34	संबंधित श्रेणी में छूट केवल उन मामलों को दी जाएगी जहां आवेदन किए गए पद के लिए संबंधित श्रेणी में रिक्तियां उपलब्ध हैं। यदि संबंधित श्रेणी के लिए पद/ ट्रेड में रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं और अभ्यर्थी अपनी श्रेणी में छूट नहीं ले रहा है, तो उसे अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा। जहां भूतपूर्व सैनिक/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी की रिक्ति उपलब्ध नहीं है और अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर खारिज कर दी जाएगी। हालांकि, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के आवेदन उनकी श्रेणी या विशेष श्रेणी में रिक्ति के बावजूद स्वीकार किए जाएंगे।
35	**आयु एवं शिक्षा का निर्धारण करने की निर्णायक तिथि 01/01/2026 होगी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का लाभ लेने की निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम होगी जोकि 19/05/2026 है।**
36	**दलालों से सावधान रहें। के0रि0पु0 बल में भर्ती के लिए पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने किसी को भुगतान किया है या पैसे देने का वादा किया है, तो आपके साथ धोखा हो रहा है और आप पैसे खो रहे हैं। यदि कोई आपका चयन करवाने के लिए पैसे की मांग करता है तो तुरंत भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी (पी.ओ.), संबंधित भर्ती केंद्र के महानिरीक्षक/ उप महानिरीक्षक या नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें।**

महत्वपूर्ण नोट : इस विज्ञापन में हिंदी और अंग्रेजी में किसी अर्थ भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

हस्ता-08/04/2026
(प्रशांत दर)
उप महानिरीक्षक (भर्ती)
महानिदेशालय, के0रि0पु0बल

अनुलग्नक -ए

Vacancy for the post of Constable (Technical & Tradesmen)-2026

Sl. No.	State	Name of Post / Trade	Vacancy										
			SC	SC ESM	ST	ST ESM	OBC	OBC ESM	EWS	EWS ESM	UR	UR ESM	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	**Andeman & Nicobar**	CT(Dvr)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
2	**Arunachal Pradesh**	CT(Dvr)	0	0	4	0	0	0	0	0	5	0	9
		CT(MMV)	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	4
		CT(BUG)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(Cook)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(WC)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(SFK)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**20**
3	**Andhra Pradesh**	CT(Dvr)	40	1	15	1	65	2	8	1	88	4	225
		CT(MMV)	6	0	2	0	10	0	1	0	16	1	36
		CT(COB)	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	5
		CT(CPTR)	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	6
		CT(TLR)	3	0	0	0	4	0	1	0	3	0	11
		CT(B/Band)	2	0	0	0	3	0	0	0	4	0	9
		CT(P/Band)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(BUG)	16	1	7	0	20	1	5	0	19	2	71
		CT(Mali))	1	0	0	0	2	0	1	0	2	0	6
		CT(PTR)	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	5
		CT(Cook)	8	1	4	0	14	2	5	1	21	2	58
		CT(WC)	3	0	1	0	5	1	2	0	7	1	20
		CT(WM)	4	0	1	0	4	0	2	0	5	1	17
		CT(BB)	2	0	1	0	2	0	1	0	5	0	11
		CT(SFK)	3	0	2	0	5	1	2	0	8	1	22
		CT(WC)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(B/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(P/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**92**	**3**	**33**	**1**	**139**	**7**	**29**	**2**	**189**	**12**	**507**
4	**Assam**	CT(Dvr)	5	0	5	1	28	1	5	0	34	2	81
		CT(MMV)	6	0	5	0	16	0	1	0	46	0	74
		CT(COB)	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3
		CT(CPTR)	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4
		CT(TLR)	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	4
		CT(B/Band)	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	5
		CT(BUG)	2	0	4	0	7	1	3	0	12	1	30
		CT(Mali))	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	4
		CT(PTR)	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3
		CT(Cook)	2	0	4	0	9	1	4	0	14	2	36
		CT(WC)	1	0	2	0	3	0	1	0	5	1	13
		CT(WM)	1	0	1	0	2	0	1	0	4	0	9
		CT(BB)	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0	6
		CT(SFK)	1	0	2	0	4	0	1	0	5	1	14
		CT(WC)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(B/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**18**	**0**	**27**	**1**	**80**	**3**	**16**	**0**	**136**	**7**	**288**
5	**Bihar**	CT(Dvr)	69	3	2	0	58	5	17	2	77	9	242
		CT(MMV)	11	0	0	0	7	1	3	0	12	1	35
		CT(COB)	1	0	0	0	2	0	1	0	4	0	8
		CT(CPTR)	2	0	0	0	2	0	1	0	4	0	9
		CT(TLR)	2	0	0	0	3	0	1	0	5	1	12
		CT(B/Band)	1	0	0	0	4	0	0	0	3	0	8
		CT(P/Band)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(BUG)	14	2	1	0	24	3	9	1	41	5	100
		CT(Mali))	3	0	0	0	3	0	1	0	5	1	13
		CT(PTR)	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	6
		CT(Cook)	17	2	1	0	30	3	11	1	50	6	121
		CT(WC)	6	1	1	0	10	1	4	0	17	2	42
		CT(WM)	5	0	0	0	8	1	3	0	13	1	31
		CT(BB)	3	0	0	0	5	0	2	0	8	1	19
		CT(SFK)	6	1	0	0	12	1	5	0	20	2	47
		CT(BUG) (Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(WC)(Female)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(HRDSR)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(B/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(P/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**141**	**9**	**5**	**0**	**171**	**15**	**58**	**4**	**268**	**29**	**700**
6	**Chandigarh**	CT(Dvr)	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3
		CT(MMV)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(BUG)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		CT(Cook)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**7**

7	**Chhattishgarh**	CT(Dvr)	15	0	18	1	3	0	5	0	17	2	61
		CT(MMV)	4	0	12	0	1	0	1	0	16	0	34
		CT(COB)	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3
		CT(CPTR)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(TLR)	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3
		CT(B/Band)	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4
		CT(P/Band)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(BUG)	3	0	8	1	1	0	3	0	10	1	27
		CT(Mali))	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3
		CT(PTR)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(Cook)	4	0	8	1	2	0	3	0	11	1	30
		CT(WC)	1	0	3	0	1	0	1	0	4	0	10
		CT(WM)	1	0	3	0	0	0	1	0	3	0	8
		CT(BB)	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	5
		CT(SFK)	1	0	4	0	2	0	1	0	4	0	12
		CT(WC)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**33**	**0**	**64**	**3**	**10**	**0**	**15**	**0**	**77**	**4**	**206**
8	**Dadar and Nagar Haveli**	CT(Dvr)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
9	**Delhi**	CT(Dvr)	4	0	3	0	7	1	3	0	10	1	29
		CT(MMV)	5	0	2	0	5	0	1	0	2	0	15
		CT(COB)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(CPTR)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(TLR)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(B/Band)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(P/Band)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(BUG)	3	0	1	0	5	0	2	0	6	1	18
		CT(Mali))	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(PTR)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(Cook)	3	0	2	0	5	0	2	0	7	1	20
		CT(WC)	1	0	0	0	2	0	1	0	3	0	7
		CT(WM)	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	5
		CT(BB)	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
		CT(SFK)	1	0	1	0	2	0	1	0	3	0	8
		Total	**19**	**0**	**9**	**0**	**30**	**1**	**11**	**0**	**41**	**3**	**114**
10	**Goa**	CT(Dvr)	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	4
		CT(MMV)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(BUG)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
		CT(Cook)	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4
		CT(WC)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		CT(SFK)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**16**
11	**Gujrat**	CT(Dvr)	16	1	19	2	53	3	10	1	47	4	156
		CT(MMV)	2	0	4	0	12	0	2	0	13	1	34
		CT(COB)	0	0	1	0	3	0	0	0	3	0	7
		CT(CPTR)	0	0	1	0	1	0	1	0	5	0	8
		CT(TLR)	0	0	2	0	2	0	1	0	5	0	10
		CT(B/Band)	1	0	2	0	2	0	0	0	5	0	10
		CT(P/Band)	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	4
		CT(BUG)	4	0	8	1	14	1	5	1	22	2	58
		CT(Mali))	0	0	1	0	2	0	1	0	3	0	7
		CT(PTR)	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	4
		CT(Cook)	5	0	9	1	17	2	6	1	26	3	70
		CT(WC)	2	0	4	0	5	1	2	0	9	1	24
		CT(WM)	1	0	3	0	5	0	2	0	6	1	18
		CT(BB)	1	0	2	0	3	0	1	0	5	0	12
		CT(SFK)	2	0	4	0	6	1	3	0	10	1	27
		CT(WC)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(B/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(P/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**34**	**1**	**61**	**4**	**127**	**8**	**34**	**3**	**167**	**13**	**452**
12	**Haryana**	CT(Dvr)	7	1	0	0	11	1	4	0	17	2	43
		CT(MMV)	1	0	0	0	2	0	1	0	3	0	7
		CT(COB)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(CPTR)	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
		CT(TLR)	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
		CT(B/Band)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(BUG)	5	0	0	0	5	1	2	0	10	1	24
		CT(Mali))	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
		CT(PTR)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(Cook)	5	1	0	0	7	1	3	0	12	1	30
		CT(WC)	2	0	0	0	3	0	1	0	4	0	10
		CT(WM)	1	0	0	0	2	0	1	0	4	0	8
		CT(BB)	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	5
		CT(SFK)	2	0	0	0	3	0	1	0	5	0	11
		CT(WC)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**27**	**2**	**0**	**0**	**39**	**3**	**14**	**0**	**64**	**4**	**153**
13	**Himachal Pradesh**	CT(Dvr)	3	0	1	0	2	0	1	0	5	0	12
		CT(MMV)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2

		CT(COB)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(CPTR)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(TLR)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(BUG)	2	0	0	0	1	0	1	0	3	0	7
		CT(Mali))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(Cook)	2	0	0	0	2	0	1	0	3	0	8
		CT(WC)	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
		CT(WM)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(BB)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(SFK)	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
		Total	**11**	**0**	**1**	**0**	**7**	**0**	**3**	**0**	**20**	**0**	**42**
14	**Jammu & Kashmir**	CT(Dvr)	2	0	5	0	27	1	2	0	24	1	62
		CT(MMV)	3	0	4	0	9	0	0	0	16	0	32
		CT(COB)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(CPTR)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(TLR)	1	0	2	0	6	0	0	0	8	0	17
		CT(B/Band)	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3
		CT(BUG)	1	0	2	0	7	0	1	0	5	0	16
		CT(Mali))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(PTR)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(Cook)	1	0	2	0	4	0	1	0	5	1	14
		CT(WC)	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	5
		CT(WM)	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	4
		CT(BB)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(SFK)	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	5
		Total	**8**	**0**	**18**	**0**	**61**	**1**	**6**	**0**	**71**	**2**	**167**
15	**Jharkhand**	CT(Dvr)	22	1	29	2	19	1	5	1	28	2	110
		CT(MMV)	2	0	2	0	2	0	1	0	4	0	11
		CT(COB)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(CPTR)	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3
		CT(TLR)	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	5
		CT(B/Band)	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	4
		CT(BUG)	4	0	7	1	4	0	3	0	12	1	32
		CT(Mali))	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	4
		CT(PTR)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(Cook)	4	0	9	1	5	0	4	0	14	1	38
		CT(WC)	2	0	3	0	2	0	1	0	5	0	13
		CT(WM)	1	0	3	0	1	0	1	0	4	0	10
		CT(BB)	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	6
		CT(SFK)	2	0	4	0	2	0	1	0	5	1	15
		CT(WC)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(P/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**41**	**1**	**65**	**4**	**38**	**1**	**17**	**1**	**84**	**5**	**257**
16	**Karnataka**	CT(Dvr)	38	2	7	1	63	3	10	1	48	4	177
		CT(MMV)	5	0	1	0	11	0	2	0	16	1	36
		CT(COB)	1	0	0	0	5	0	0	0	3	0	9
		CT(CPTR)	2	0	0	0	2	0	1	0	2	0	7
		CT(TLR)	1	0	0	0	2	0	1	0	3	0	7
		CT(B/Band)	1	0	0	0	3	0	0	0	2	0	6
		CT(P/Band)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(BUG)	8	1	4	0	14	2	5	1	22	2	59
		CT(Mali))	1	0	0	0	2	0	1	0	3	0	7
		CT(PTR)	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4
		CT(Cook)	10	1	5	0	17	2	6	1	26	3	71
		CT(WC)	4	0	2	0	6	1	2	0	9	1	25
		CT(WM)	3	0	1	0	5	0	2	0	6	1	18
		CT(BB)	2	0	1	0	3	0	1	0	4	0	11
		CT(SFK)	4	0	2	0	6	1	3	0	10	1	27
		CT(BUG) (Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(WC)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(B/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		CT(P/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**81**	**4**	**23**	**1**	**141**	**9**	**34**	**3**	**162**	**13**	**471**
17	**Kerala**	CT(Dvr)	14	1	2	0	25	2	5	1	41	3	94
		CT(MMV)	3	0	0	0	4	0	1	0	13	0	21
		CT(COB)	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	6
		CT(CPTR)	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	5
		CT(TLR)	1	0	0	0	3	0	1	0	5	0	10
		CT(B/Band)	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	6
		CT(P/Band)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(BUG)	6	0	0	0	18	1	4	0	26	2	57
		CT(Mali))	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	4
		CT(PTR)	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	5
		CT(Cook)	4	0	1	0	11	1	4	0	20	2	43
		CT(WC)	2	0	0	0	4	0	2	0	8	1	17
		CT(WM)	1	0	0	0	3	0	1	0	5	1	11
		CT(BB)	0	0	0	0	4	0	1	0	3	0	8
		CT(SFK)	2	0	0	0	4	0	2	0	7	1	16
		CT(WC)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

		CT(B/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**35**	**1**	**3**	**0**	**82**	**4**	**22**	**1**	**148**	**10**	**306**
18	**Madhya Pradesh**	CT(Dvr)	16	2	26	2	16	2	11	1	44	5	125
		CT(MMV)	6	0	10	0	3	0	2	0	7	1	29
		CT(COB)	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	5
		CT(CPTR)	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0	7
		CT(TLR)	1	0	2	0	1	0	1	0	4	0	9
		CT(B/Band)	2	0	3	0	1	0	0	0	2	0	8
		CT(P/Band)	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3
		CT(BUG)	9	1	13	1	10	1	6	1	25	3	70
		CT(Mali))	1	0	2	0	2	0	1	0	3	0	9
		CT(PTR)	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	4
		CT(Cook)	12	1	15	2	12	1	7	1	31	3	85
		CT(WC)	4	0	5	1	4	0	3	0	11	1	29
		CT(WM)	3	0	4	0	3	0	2	0	8	1	21
		CT(BB)	2	0	3	0	2	0	1	0	5	0	13
		CT(SFK)	5	0	5	1	5	0	3	0	12	1	32
		CT(BUG) (Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(WC)(Female)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(B/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(P/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**64**	**4**	**93**	**7**	**62**	**4**	**38**	**3**	**164**	**15**	**454**
19	**Maharshtra**	CT(Dvr)	18	2	23	2	45	5	17	2	75	8	197
		CT(MMV)	5	0	3	0	7	1	3	0	13	1	33
		CT(COB)	1	0	1	0	2	0	1	0	3	0	8
		CT(CPTR)	1	0	1	0	2	0	1	0	3	0	8
		CT(TLR)	1	0	1	0	4	0	2	0	5	1	14
		CT(B/Band)	0	0	0	0	5	0	1	0	3	0	9
		CT(P/Band)	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
		CT(BUG)	10	1	9	1	25	3	10	1	42	5	107
		CT(Mali))	1	0	1	0	4	0	1	0	5	1	13
		CT(PTR)	2	0	0	0	2	0	1	0	3	0	8
		CT(Cook)	12	1	11	1	32	3	12	1	52	6	131
		CT(WC)	4	0	4	0	11	1	5	0	18	2	45
		CT(WM)	3	0	3	0	8	1	3	0	14	1	33
		CT(BB)	2	0	2	0	5	1	2	0	8	1	21
		CT(SFK)	5	0	4	0	13	1	5	0	20	2	50
		CT(BUG) (Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(WC)(Female)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(HRDSR)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(B/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(P/Band)(Female)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(TLR)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**66**	**4**	**63**	**4**	**167**	**16**	**64**	**4**	**272**	**28**	**688**
20	**Manipur**	CT(Dvr)	0	0	7	0	1	0	0	0	11	0	19
		CT(MMV)	0	0	5	0	0	0	0	0	10	0	15
		CT(TLR)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		CT(B/Band)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		CT(BUG)	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	4
		CT(Cook)	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3
		CT(WC)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(WM)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(BB)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(SFK)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**0**	**0**	**17**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**27**	**0**	**47**
21	**Meghalaya**	CT(Dvr)	0	0	6	0	0	0	1	0	14	0	21
		CT(MMV)	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	8
		CT(COB)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		CT(TLR)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(B/Band)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(BUG)	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	6
		CT(Mali))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(PTR)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(Cook)	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	4
		CT(WC)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(WM)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
		CT(BB)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		CT(SFK)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**37**	**0**	**52**
22	**Mizoram**	CT(Dvr)	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	7
		CT(MMV)	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3
		CT(BUG)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(Cook)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		CT(SFK)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Total	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**14**
23	**Nagaland**	CT(Dvr)	0	0	18	0	0	0	0	0	26	0	44
		CT(MMV)	0	0	6	0	0	0	0	0	7	0	13
		CT(COB)	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3
		CT(TLR)	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	7

		CT(B/Band)	0	0	4	0	0	0	0	0	5	0	9
		CT(BUG)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(PTR)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(Cook)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(WC)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(WM)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(SFK)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		CT(WC)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**0**	**0**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51**	**0**	**87**
24	**Odisha**	CT(Dvr)	24	1	23	2	8	1	6	1	26	3	95
		CT(MMV)	4	0	3	0	1	0	1	0	9	0	18
		CT(COB)	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3
		CT(CPTR)	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4
		CT(TLR)	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	5
		CT(B/Band)	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	6
		CT(P/Band)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(BUG)	6	1	8	1	5	0	4	0	14	2	41
		CT(Mali))	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	5
		CT(PTR)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(Cook)	7	1	10	1	5	1	5	0	17	2	49
		CT(WC)	3	0	4	0	2	0	1	0	6	1	17
		CT(WM)	2	0	3	0	1	0	1	0	5	0	12
		CT(BB)	1	0	2	0	1	0	1	0	3	0	8
		CT(SFK)	3	0	4	0	2	0	2	0	7	1	19
		CT(WC)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(P/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**56**	**3**	**65**	**4**	**27**	**2**	**21**	**1**	**100**	**9**	**288**
25	**Punjab**	CT(Dvr)	41	1	0	0	29	1	5	0	25	2	104
		CT(MMV)	11	0	0	0	10	0	1	0	3	0	25
		CT(COB)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(CPTR)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(TLR)	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
		CT(B/Band)	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	6
		CT(P/Band)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(BUG)	7	1	0	0	5	0	3	0	10	1	27
		CT(Mali))	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
		CT(PTR)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(Cook)	8	1	0	0	6	1	3	0	12	1	32
		CT(WC)	3	0	0	0	2	0	1	0	5	0	11
		CT(WM)	2	0	0	0	2	0	1	0	3	0	8
		CT(BB)	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	5
		CT(SFK)	3	0	0	0	3	0	1	0	5	0	12
		CT(WC)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(B/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**82**	**3**	**0**	**0**	**62**	**2**	**16**	**0**	**76**	**4**	**245**
26	**Puducherry**	CT(Dvr)	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4
		CT(BUG)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
		CT(Cook)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(WC)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(SFK)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**11**
27	**Rajasthan**	CT(Dvr)	18	2	14	1	21	2	10	1	42	5	116
		CT(MMV)	11	0	8	0	6	0	2	0	7	1	35
		CT(COB)	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	5
		CT(CPTR)	2	0	2	0	1	0	1	0	2	0	8
		CT(TLR)	1	0	1	0	2	0	1	0	3	0	8
		CT(B/Band)	1	0	2	0	1	0	0	0	2	0	6
		CT(P/Band)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(BUG)	10	1	8	1	12	1	6	1	24	3	67
		CT(Mali))	1	0	1	0	2	0	1	0	3	0	8
		CT(PTR)	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4
		CT(Cook)	13	1	9	1	14	2	7	1	29	3	80
		CT(WC)	5	0	4	0	5	0	3	0	10	1	28
		CT(WM)	3	0	3	0	4	0	2	0	7	1	20
		CT(BB)	2	0	2	0	3	0	1	0	5	0	13
		CT(SFK)	5	0	4	0	5	1	3	0	12	1	31
		CT(BUG) (Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(WC)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(B/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(P/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**74**	**4**	**59**	**3**	**78**	**6**	**37**	**3**	**155**	**15**	**434**
28	**Sikkim**	CT(Dvr)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
		CT(BUG)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		CT(Cook)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**7**
29	**Tamilnadu**	CT(Dvr)	66	2	2	0	75	4	12	1	114	6	282
		CT(MMV)	8	0	0	0	9	1	2	0	24	1	45
		CT(COB)	1	0	0	0	3	0	1	0	7	0	12
		CT(CPTR)	3	0	0	0	3	0	1	0	4	0	11

		CT(TLR)	3	0	0	0	2	0	1	0	8	0	14
		CT(B/Band)	3	0	0	0	3	0	1	0	7	0	14
		CT(P/Band)	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3
		CT(BUG)	17	1	2	0	19	2	7	1	30	3	82
		CT(Mali))	2	0	0	0	2	0	1	0	4	0	9
		CT(PTR)	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4
		CT(Cook)	15	2	1	0	23	2	8	1	35	4	91
		CT(WC)	6	1	0	0	8	1	4	0	14	1	35
		CT(WM)	4	0	0	0	5	1	2	0	9	1	22
		CT(BB)	3	0	0	0	4	0	1	0	6	1	15
		CT(SFK)	6	1	0	0	8	1	3	0	14	1	34
		CT(BUG) (Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
		CT(WC)(Female)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(B/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		CT(P/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**138**	**7**	**5**	**0**	**167**	**12**	**44**	**3**	**287**	**18**	**681**
30	**Telangana**	CT(Dvr)	27	1	9	0	40	2	5	1	62	3	150
		CT(MMV)	3	0	1	0	6	0	1	0	13	0	24
		CT(COB)	1	0	0	0	1	0	0	0	5	0	7
		CT(CPTR)	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	6
		CT(TLR)	1	0	0	0	2	0	0	0	7	0	10
		CT(B/Band)	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	7
		CT(P/Band)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(BUG)	11	1	3	0	12	1	4	0	14	1	47
		CT(Mali))	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4
		CT(PTR)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(Cook)	6	1	3	0	11	1	4	0	16	2	44
		CT(WC)	3	0	1	0	4	0	2	0	5	1	16
		CT(WM)	2	0	1	0	3	0	1	0	4	0	11
		CT(BB)	1	0	0	0	2	0	1	0	3	0	7
		CT(SFK)	3	0	1	0	4	0	2	0	6	1	17
		CT(WC)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(B/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(P/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**62**	**3**	**19**	**0**	**91**	**4**	**20**	**1**	**148**	**8**	**356**
31	**Tripura**	CT(Dvr)	2	0	9	0	0	0	1	0	4	0	16
		CT(MMV)	3	0	2	0	0	0	0	0	7	0	12
		CT(CPTR)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(TLR)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(B/Band)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(BUG)	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	5
		CT(Cook)	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4
		CT(WC)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(WM)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(BB)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(SFK)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
		Total	**7**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**22**	**0**	**46**
32	**Uttarakhand**	CT(Dvr)	8	0	1	0	5	0	2	0	10	1	27
		CT(MMV)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4
		CT(COB)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(CPTR)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(TLR)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(B/Band)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(BUG)	2	0	0	0	1	0	1	0	5	1	10
		CT(Mali))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(PTR)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(Cook)	2	0	0	0	2	0	1	0	6	1	12
		CT(WC)	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4
		CT(WM)	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
		CT(BB)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(SFK)	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	5
		Total	**18**	**0**	**1**	**0**	**10**	**0**	**4**	**0**	**37**	**3**	**73**
33	**Uttar Pradesh**	CT(Dvr)	63	7	4	0	82	9	31	3	124	14	337
		CT(MMV)	30	1	2	0	19	1	5	1	21	2	82
		CT(COB)	3	0	0	0	4	0	1	0	5	1	14
		CT(CPTR)	3	0	0	0	4	0	2	0	5	1	15
		CT(TLR)	5	0	0	0	6	1	2	0	9	1	24
		CT(B/Band)	7	0	0	0	3	0	1	0	5	0	16
		CT(P/Band)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(BUG)	36	4	2	0	47	5	17	2	71	8	192
		CT(Mali))	5	0	0	0	5	1	2	0	9	1	23
		CT(PTR)	3	0	0	0	3	0	1	0	5	0	12
		CT(Cook)	44	5	2	0	57	6	21	2	86	9	232
		CT(WC)	15	2	1	0	20	2	7	1	30	3	81
		CT(WM)	11	1	1	0	14	2	5	1	22	2	59
		CT(BB)	7	1	0	0	9	1	4	0	14	1	37
		CT(SFK)	17	2	1	0	22	2	8	1	32	4	89
		CT(BUG) (Female)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(WC)(Female)	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	4

		CT(HRDSR)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(B/Band)(Female)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(P/Band)(Female)	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
		CT(TLR)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(PTR)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(Mali)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**251**	**23**	**13**	**0**	**300**	**30**	**107**	**11**	**448**	**47**	**1230**
34	**West Bengal**	CT(Dvr)	89	4	19	1	87	4	15	2	91	7	319
		CT(MMV)	12	1	1	0	13	0	3	0	19	1	50
		CT(COB)	2	0	0	0	1	0	1	0	3	0	7
		CT(CPTR)	2	0	0	0	3	0	1	0	3	0	9
		CT(TLR)	4	0	1	0	2	0	1	0	4	0	12
		CT(B/Band)	2	0	1	0	3	0	1	0	8	0	15
		CT(P/Band)	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4
		CT(BUG)	18	2	4	0	18	2	8	1	32	4	89
		CT(Mali))	2	0	1	0	2	0	1	0	4	0	10
		CT(PTR)	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	5
		CT(Cook)	22	2	5	0	21	2	10	1	39	4	106
		CT(WC)	7	1	2	0	7	1	4	0	14	1	37
		CT(WM)	5	1	1	0	5	1	3	0	10	1	27
		CT(BB)	4	0	1	0	4	0	1	0	6	1	17
		CT(SFK)	9	1	2	0	8	1	4	0	14	2	41
		CT(BUG) (Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CT(WC)(Female)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		CT(B/Band)(Female)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
		CT(P/Band)(Female)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Total	**181**	**12**	**38**	**1**	**176**	**11**	**54**	**4**	**256**	**21**	**754**
Grand Total			**1539**	**84**	**765**	**33**	**2076**	**139**	**641**	**69**	**3559**	**270**	**9175**

हस्ता-08/04/2026
(प्रशांत दर)
उप महानिरीक्षक (भर्ती)
महानिदेशालय, के0रि0पु0बल

अनुलग्नक -I

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया

आवेदन करने के स्टेप्स :

I	अभ्यर्थियों के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर तथा मैट्रिकुलेशन प्रमाण - पत्र के अनुसार पूरा नाम होना चाहिए। इसे पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखना चाहिए। आवेदन क्रम संख्या, पासवर्ड और अन्य सभी महत्वपूर्ण सूचना/अलर्ट इसी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे (कृपया सुनिश्चित करें कि इस मेल बॉक्स पर भेजा गया ई-मेल आपके जंक/स्पैम फ़ोल्डर में न चला जाए अथवा पुनर्निर्देशित न हो)।
II	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थियों को सही विवरण प्रस्तुत करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। अभ्यर्थियों को अपने ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और नाम का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा, जो प्रस्तुत हो जाने के बाद संपादित नहीं किया जा सकेगा और अन्य सभी विवरण उम्मीदवार स्टेप-II में संपादित कर सकते हैं। एक बार फॉर्म जमा होने के बाद इसे संपादित नहीं किया जा सकता।
III	आवेदन पत्र जमा करने की स्टेप-बाई-स्टेप प्रक्रिया नीचे दी गई है: **स्टेप-I:** व्यक्तिगत और संपर्क विवरण का पंजीकरण। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ई-मेल के माध्यम से भेजा जाएगा। **स्टेप-II:** फिर से लॉगिन करें और श्रेणी का चयन करें और व्यक्तिगत विवरण, पता विवरण, अर्हता विवरण, उपलब्धियों का विवरण, आवेदित पद भरें तथा इसके बाद प्रमाण पत्र एवं कागजात (फोटो एवं हस्ताक्षर इत्यादि) अपलोड करें और परीक्षा शुल्क (यदि लागू हो) और "सेवा प्रभार" सभी अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान किया जाना है, चाहे कोई भी श्रेणी हो, ऑनलाइन भुगतान नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ यूपीआई/सीएससी वॉलेट के माध्यम से करें।
IV	एक बार जमा किया गया आवेदन वापस नहीं लिया जा सकता है और एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, यह न तो किसी अन्य भर्ती के लिए और न ही भविष्य में चयन प्रक्रिया के लिए आरक्षित रखा जाएगा।
स्टेप - I पंजीकरण:	
ए	नियम और शर्तों से सहमत अभ्यर्थी नीचे दिए गए 'मैं सहमत हूं' चेकबॉक्स पर क्लिक करके और 'स्टार्ट' बटन दबाकर आवेदन कर सकते हैं।
बी	अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक जानकारी यथा-व्यक्तिगत विवरण, पता विवरण, अर्हता विवरण, उपलब्धियों का विवरण, आवेदित पद आदि भरनी चाहिए और फिर प्रमाणपत्र और दस्तावेज़ (जैसे फोटो और हस्ताक्षर) आदि सही तरीके से अपलोड करने चाहिए।
सी	स्टेप - I पंजीकरण पूरा होने पर, अभ्यर्थी की पंजीकृत ईमेल आईडी में सूचना प्राप्त होगी जिसमें उनकी लॉगिन आईडी (आवेदन क्रम संख्या) और पासवर्ड होगा।
डी	आवेदन पत्र में (स्टेप - II के लिए) अन्य विवरण भरने के लिए अभ्यर्थियों को लॉग-आउट और फिर से लॉग-इन करना होगा।
स्टेप - II आवेदन पत्र पूरा करना:	
ई	पंजीकरण के बाद, अभ्यर्थियों को लॉगिन करना होगा और आवेदन पत्र में अन्य विवरण जैसे व्यक्तिगत विवरण, अर्हता संबंधी विवरण और घोषणा आदि को पूरा करना होगा।
एफ	फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन करने संबंधी निर्देश: अभ्यर्थी नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई (डिजिटल) इमेज अपलोड करें। आवेदक को ध्यान देना चाहिए कि केवल जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप ही स्वीकार्य है: **फोटोग्राफ छवि:** • रंगीन फोटो 35 एमएम आकार के (चौड़ाई) x 45 एमएम (ऊंचाई)। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो स्वीकार नहीं की जाएगी। • पृष्ठभूमि हल्की होनी चाहिए। हल्का ग्रे/सफेद रंग सुझाया जाता है। कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए। • फोटो का 70-80% हिस्सा चेहरे से कवर होना चाहिए। आवेदक को सामान्य हाव-भाव के साथ सीधे कैमरे की ओर देखना चाहिए। • पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड) से मेल खाते रंगों की एकरूपता से बचना चाहिए।

	• यदि आवेदक चश्मा धारण करता/करती है, तो उसकी आँखें पूर्णतः स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए तथा कैप आदि धारण नहीं करना चाहिए। • स्कैन की गई इमेज का आकार केवल जेपीजी/जेपीईजी/पीएनजी प्रारूप में 50-100 केबी के बीच में होना चाहिए। **ii. हस्ताक्षर की इमेज:** • आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करना होगा। • हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। **कृपया हस्ताक्षर क्षेत्र को ही स्कैन करें, पूरे पृष्ठ को नहीं।** • फ़ाइल का आकार केवल जेपीजी/जेपीईजी/पीएनजी प्रारूप में 50-100 केबी के बीच होना चाहिए। **iii. दस्तावेज़ों का आकार:** • दस्तावेजों का आकार केवल जेपीजी/जेपीईजी/पीएनजी/पीडीएफ प्रारूप में 100-500 केबी के बीच होना चाहिए।
जी	एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद, अभ्यर्थियों को पेमेंट गेटवे पर स्वचालित रूप से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई/सीएससी वॉलेट आदि के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले परीक्षा शुल्क रू.100/-(**यदि लागू हो**) तथा **प्रत्येक आवेदित पद के लिए सेवा शुल्क** जमा करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। अभ्यर्थी भविष्य के संदर्भ के लिए भुगतान पावती पर्ची निकाल (जेनरेट) सकते हैं।
एच	**शुल्क जमा** करने के लिए दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं: • जमा करने के बाद, अभ्यर्थी को पेमेंट गेटवे पर ऑनलाइन भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। • कृपया विवरणों को सत्यापित करें और विभिन्न भुगतान माध्यमों से आवेदन शुल्क का भुगतान करें। • सफल ऑनलाइन भुगतान के बाद, अभ्यर्थी को उसके आवेदन पत्र पर रिडायरेक्ट किया जाएगा।
आई	भविष्य के सभी संदर्भों के प्रयोजन के लिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सफलतापूर्वक जमा करने के बाद अपने आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट अपने पास रखें।
जे	ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तकनीकी पूछताछ/स्पष्टीकरण के लिए, कृपया बेझिझक होकर **हेल्पलाइन नंबर 011-26160255 पर कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार 1000 से 1800 बजे तक)** पर संपर्क करें।

हस्ता-08/04/2026
(प्रशांत दर)
उप महानिरीक्षक (भर्ती)
महानिदेशालय, के0रि0पु0बल

अनुलग्नक - II

सेवारत रक्षा सैनिकों के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि, मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार (नंबर) ___ ________________ (रैंक) _________________________ ___(नाम) _________________ की दिनांक _________को सशस्त्र बलों के साथ उनकी नियुक्ति की निर्दिष्ट अवधि पूरी होने वाली है।

आवेदक की हाल की पासपोर्ट साइज़ की सत्यापित फ़ोटो। (हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए)

स्थान :
दिनांक :

कमान अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय मुहर:

अनुलग्नक-III

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचनबंध प्रमाण पत्र

मैं समझता हूं कि, यदि भर्ती/परीक्षा, जिससे आवेदन संबंधित है, के आधार पर चयन किया जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत रूप से मुक्त/सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर दिया गया है और मैं भूतपूर्व सैनिकों (केंद्रीय सिविल सेवाओं में पुन: रोजगार और पद नियम,1979, समय-समय पर संशोधित) के संदर्भ में भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य लाभों का हकदार हूँ।

मैं यह भी समझता हूं कि मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होऊंगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी समय सिविल क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य आरक्षण रिक्तियों की रियायत का लाभ उठाकर (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सहित) कोई रोजगार प्राप्त किया है।

मैं आगे निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता हूं:

क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि ---

ख) सेवामुक्ति की तिथि--

ग) सशस्त्र बल में सेवा की अवधि---

घ) मेरी आखिरी यूनिट / कोर---

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक:

अनुलग्नक-IV

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए प्रपत्र

यदि कोई अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है, तो उसे अपने दावे के समर्थन में जिला अधिकारी या उप-मंडल अधिकारी या ऐसा जिला जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यत: निवास करते हैं, या नीचे दिए गए किसी अन्य अधिकारी जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया हो, से एक प्रमाण पत्र की सत्यापित/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी सामान्यत: निवास करता हो, न कि केवल अपनी शिक्षा के उद्देश्य से रहता हो। जहां भी फोटोग्राफ प्रमाण पत्र का एक आंतरिक भाग है, आयोग ऐसे प्रमाण पत्रों की केवल सत्यापित छायाप्रति ही स्वीकार करेगा और कोई अन्य प्रमाणित या सत्यापित प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*... सुपुत्र/सुपुत्री..................................ग्राम/नगर*......................................जिला/मंडल*..........................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.................................के निवासी................................जाति/जनजाति से संबंधित है जोकि निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 ....
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 ....
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश , 1951* ....
संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* ....
अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूचियों (संशोधन) आदेश, 1956, बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित।
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 ....
संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, जिसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम), 1976* द्वारा संशोधित किया गया है।
संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962।
संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@।
संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन), अधिनियम 1990@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन), अध्यादेश 1991@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996

%2. उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू, जो एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से दूसरे राज्य में प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र, श्री/श्रीमती/कुमारी*..के माता/पिता श्री/श्रीमती...ग्राम/नगर*....................................जिला/मंडल*...........................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*..को.. के द्वारा

दिनांक................................के अधीन जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जो उस जाति/जनजाति से संबंधित है जिसे राज्य /संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, के आधार पर जारी किया जाता है।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी*.......................................और/या उसका परिवार सामान्यत: .... ग्राम/नगर*... जिला/मंडल*............................... राज्य/संघ राज्य* क्षेत्र में निवास करता/करती है।

हस्ताक्षर
**पदनाम--------------------
(कार्यालय की मोहर सहित)

स्थान ....
दिनांक ....

नोट: i) * - जो शब्द लागू न हों, उन्हें हटा दें।

ii) @ - कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश को दर्शाए।

% - जो पैराग्राफ लागू न हो, उसे हटा दें।

यहाँ प्रयुक्त "सामान्यतः निवास करता/करते हैं" का वही अर्थ होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में निहित है।

** - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों की सूची:

ए) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप मंडल मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

बी) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

सी) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो।

डी) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी, जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अनुलग्नक –V

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी---------------------- पुत्र/पुत्री----------------- गांव/कस्बा------------------------------ जिला/मंडल------------------------- के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ----------------------------- में---------------------समुदाय से संबंधित है, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक*-- ----------के संकल्प सं.-------------------तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कुमारी-------------------------------और/या उनका परिवार आमतौर पर ------------------------------------राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के --जिला/मंडल में रहता/रहती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के अनुसूची के कॉलम 3, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था(एससीटी) दिनांक 08.09.1993** में वर्णित अनुसार व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है ।

जिला मजिस्ट्रेट
उपायुक्त आदि

दिनांक:
मुहर:

नोट -

1. *प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें उम्मीदवार की जाति ओबीसी के रूप में उल्लिखित है।
2. **जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।
3. यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः "का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में है।

<u>अनुलग्नक-VI</u>

<u>लंबाई या छाती की माप से छूट प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री--सुपुत्र श्री--------------ग्राम----------------------------तहसील/तालुका -------------------------जिला--------------------------राज्य ---------------------------------का स्थायी निवासी है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

* गढ़वाली, कुमाउंनी, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी।

* पूर्वोत्तर के अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थी और गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थी, जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन उप मंडल नामत: दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग तथा इन जिलों के निम्नलिखित **मौजा** उप-मंडल शामिल हैं:-
(1) लोहागढ़ चाय बागान (2)लोहागढ़ फॉरेस्ट (3) रंगमोहन (4)बाराचेंगा (5)पानीघाटा (6)छोटा अदलपुर (7)पहाड़ू (8)सुकना फॉरेस्ट (9) सुकना भाग-1-10) पंतापति फॉरेस्ट 1-(11) 1- महानदी फॉरेस्ट (12) चंपासरी फॉरेस्ट (13) सालवारी छत भाग -II -(14) - सितोंग फॉरेस्ट (15) सिवोके हिल फॉरेस्ट (16)सिवोके फॉरेस्ट (17) छोटा चेंगा (18) निपनिया

* वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट / उप मंडल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

स्थान :-.................
दिनांक ....

*जो लागू न हो, उसे हटा दें।

अनुलग्नक-VII

.............................सरकार

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम व पता)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र)

प्रमाण पत्र संख्या .... तिथि...............

.... वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी........... ...... .ग्राम/गली ....डाकघर ....जिला.............................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में.......................... पिन कोड........... .... का स्थायी निवासी जिसकी फोटो नीचे सत्यापित की गई है वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, क्योंकि उसके/उसकी 'परिवार' ** की सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष ....के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उसके/उसकी परिवार के स्वयं का या अपने पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है ***:

I. 5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक
II. 1000 वर्गफुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..जोकि ....जाति के हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मोहर के साथ हस्ताक्षर.....
नाम...
पदनाम..

आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो

नोटः-

1 * - आय में सभी स्रोत शामिल हैं अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

2 **- इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका/उसकी पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

3 *** - ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या

विभिन्न स्थानों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा धारित संपत्ति को जोड़ा गया है।

4- आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची:-

ए) जिला मजिस्ट्रेट /अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर /उपायुक्त /अपर उपायुक्त / डिप्टी क्लेक्टर / प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट / उप मंडल मजिस्ट्रेट /अतिरिक्त-सहायक उपायुक्त /तालुक मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट, या

बी) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, या

सी) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो या

डी) अभ्यर्थी तथा/या उसका परिवार आमतौर पर जहां निवासरत हो उस क्षेत्र का उप मंडल अधिकारी।

<u>अनुलग्नक-VIII</u>
<u>केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए</u>

<u>सिपाही(तकनीकी/ ट्रेड्समैन) परीक्षा-2024-2026</u>
फॉर्म संख्या सीएपीएफ/रैंक(कैडर)/1 अनफिट ज्ञापन

विषय:- **केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल(के0रि0पु0बल) में ....(रैंक) के पद के लिए डीएमई में अनफिट पाए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण का पुनरीक्षण।**

श्री/सुश्री...................रोल नंबर................ को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि के0रि0पु0बल में ....के पद पर भर्ती के लिए दिनांक.....................को.................... बजे उसकी चिकित्सकीय जांच की गई है और नीचे उल्लिखित कारणों से उसे अनफिट पाया गया है:-

- i) ....
- ii) ....
- iii) ....
- iv) ....

2 आपको एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि आप नीचे दिए गए सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करके पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण (आरएमई) के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरएमई दिनांक .... को आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए आपको....................... बजे रिपोर्ट करना आवश्यक है।

दिनांक .... चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
केंद्र............ नाम..............
मुहर...............

पीठासीन अधिकारी के मुहर सहित प्रतिहस्ताक्षर ।

<u>चिकित्सा परीक्षण का परिणाम प्राप्त किया</u>

अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर

<u>केवल अभ्यर्थी के उपयोग के लिए</u>

सेवा में
भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी
....
....

विषय: <u>पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण के लिए आवेदन पत्र।</u>
महोदय,

मैं, एतदद्वारा पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षण के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ।

स्थान .... हस्ताक्षर ....
दिनांक.............. नाम ....
रोल नंबर.................

(..)
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

अनुलग्नक –IX

केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए - घोषणा/वचनबद्धता प्रमाण पत्र

मैं-------------------सुपुत्र/सुपुत्री श्री------------------------------निवासी- ग्राम/ कस्बा/नगर---------जिला-- ---- -------राज्य---------------- एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ------------------------ समुदाय से संबंधित हूँ जिसे भारत सरकार द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-Estt (SCT), दिनांक 8/9/1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है । यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8/9/1993 के कॉलम 3 में उल्लिखित जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9/3/2004 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004-Estt(Res.) द्वारा यथा संशोधित के तहत व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

आवेदक के हाल की पासपोर्ट फोटो

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक :

- अभ्यर्थी द्वारा बिना हस्ताक्षरित घोषणा/ वचनबद्धता प्रमाण पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

--